रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 REGISTERED NO. D.L.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] दिल्ली, बुधवार, जून 2, 1999/ज्येष्ठ 12, 1921 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 139
No. 94] DELHI, WEDNESDAY, JUNE 2, 1999/JYAISTHA 12, 1921 [N.C.T.D. No. 139

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जून, 1999

संख्या: फा. 14/11/98-एल. ए. एस./186.—राष्ट्रपति की दिनांक 21-5-1999 को मिली अनुमति के पश्चात् दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998

(दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999)

एक

अधिनियम

कृषि उपज— विपणन के बेहतर नियमन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कृषि उपज के लिए बाजार स्थापित करने तथा इससे संबंधित मामलों अथवा अनुषंगिक विषयों की समुचित व्यवस्था के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के 49वें वर्ष में दिल्ली विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) यह अधिनियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 कहा जयेगा।

(2) इसका विस्तार सारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(3) यह सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा तय की गई तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "कृषि उत्पाद" से अभिप्राय है – कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, अंगूर की खेती (द्राक्षा संवर्धन), मछली पालन, रेशम–कीड़े पालन, पशुपालन, ऊन तथा पशुओं की खालें तथा वन्य उत्पाद, जोकि अनुसूची में उल्लेखित है तथा ऐसे अन्य उत्पाद जिन्हें सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे और जिसमें ऐसे दो या अधिक उत्पादों का सम्मिश्रण भी शामिल है और वे सभी उत्पाद तथा वस्तुएँ, चाहे संशोधित हों अथवा गैर–संशोधित।

(ख) "किसान" से अभिप्राय दिल्ली में रह रहे उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः अपने श्रम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के श्रम से अपने किरायेदारों अथवा नौकरों के श्रम से या भाड़े के श्रम अथवा अन्य किसी प्रकार से कृषि उपज के उत्पादन अथवा संवर्धन, जोकि संसाधित नहीं किया गया है, में लगा है, लेकिन व्यापारी, कमीशन ऐजेंट, संसाधित करने वाला या आढ़ती, अथवा व्यापारी–फर्म का हिस्सेदार या औद्योगिक फर्म इसमें शामिल नहीं है, केवल उस व्यापारी, कमीशन ऐजेंट, संसाधित करने वाले या आढ़ती अथवा हिस्सेदार को छोड़कर जोकि कृषि उपज के उत्पादन अथवा संवर्धन में लगा हुआ हो।

(ग) "परिषद्" से अभिप्राय धारा 5 के अन्तर्गत गठित दिल्ली कृषि विपणन परिषद् से है।

(घ) "दलाल" से अभिप्राय उस ऐजेंट से है जो कमीशन, शुल्क या पारिश्रमिक लेकर कृषि उपज के क्रय–विक्रय का सौदा तय करता है लेकिन किसी भी अधिसूचित कृषि उपज को न तो अपने पास रखता है, न आगे भेजता है, न लेकर जाता है और न ही उस खरीद के लिए पैसा देता अथवा लेता है।

(ङ) "खरीददार" से अभिप्राय उस व्यक्ति, फर्म, कंपनी या सहकारी समिति अथवा सरकारी निकाय, या सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक निकाय से है जो अपने तथा अपने व्यवसाय के लिए या किसी व्यक्ति अथवा ऐजेंट के लिए बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज की खरीद करता है अथवा खरीद के लिए सहमत होता है;

(च) "उप–नियमों" से अभिप्राय धारा 118 के तहत बनाये गये उप–नियमों से है ;

(छ) "कमीशन ऐजेंट' या आढ़तिया" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्रायः स्वयं या अपने नौकरों के माध्यम से बाजार–क्षेत्र में, बिक्रीकर्ता अथवा खरीददार की ओर से, जैसी भी स्थिति हो, अधिसूचित कृषि उपज की खरीद या बिक्री करता है अथवा बिक्री या खरीद के दौरान उसे अपनी देख–रेख में रखता है तथा खरीददार से उसका पैसा लेकर बिक्रीकर्ता को देता है और इसके लिए उत्पाद के क्रय–विक्रय की राशि पर कमीशन के रूप में अपना पारिश्रमिक लेता है।

(ज) "दिल्ली" से अभिप्राय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से है।

(झ) "निदेशक" से अभिप्राय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त दिल्ली कृषि विपणन के निदेशक से है।

(ञ) "सरकार" से अभिप्राय उपराज्यपाल से है।

(ट) "उपराज्यपाल" से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 239 कक के साथ पठित अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल से है।

(ठ) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्राय क्षेत्रीय सीमाओं के संबंध में ....

(i) दिल्ली नगर निगम

(ii) नई दिल्ली नगर परिषद् तथा

(iii) दिल्ली छावनी बोर्ड से है।

(1957 का 61) व्याख्या :

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम, 1957 के तहत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा इस अधिनियम के तहत गठित परिषद् तथा विपणन समिति को स्थानीय प्राधिकरण समझा जाएगा।

(ड) "बाजार" से अभिप्राय, इस अधिनियम के तहत किसी बाजार–क्षेत्र के लिए स्थापित विनियमित बाजार से है और इसमें धारा 26 के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व का बाजार और धारा 23 के तहत स्थापित मुख्य तथा गौण बाजार भी शामिल है।

(ढ) "बाजार क्षेत्र" से अभिप्राय धारा 4 के तहत घोषित बाजार–क्षेत्र से है।

(ण) "बाजार–प्रभार" में कमीशन, दलाली, तोल,माप, पल्लेदारी (चढ़ाई, उतराई तथा ले जाना), सफाई, सुखाई, धिनाई, सिलाई, ढेर लगाने, बोरियों पर मोहर लगाने, बोरी भरने, भंडार में रखने, ग्रेड बनाने, जाँच करने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने तथा संसाधित करने से संबंधित प्रभार शामिल हैं।

(त) "विपणन समिति" से अभिप्राय इस अधिनियम के तहत किसी बाजार क्षेत्र के लिए गठित समिति से है।

(थ) "विपणन" से अभिप्राय अधिसूचित कृषि उत्पाद की खरीद अथवा बिक्री से है, जिसमें ग्रेड बनाना, पैकिंग करना, मानकीकरण करना संसाधित करना, भंडारन, शीत–भंडारण, वेयर हाऊस करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, आयात वितरण तथा कृषि उत्पाद की खरीद अथवा बिक्री से संबंधित अन्य कोई कार्य भी शामिल है और मोटे तौर पर फसल कटाई से लेकर उपभोक्ताओं तक उपज पहुँचाने के बिन्दुओं पर कृषि उत्पादों के चलन से संबद्ध सभी प्रकार की गतिविधियाँ।

(द) "बाजार" में काम करने वाले" से अभिप्राय सौदाकर्ता, दलाल, कमीशन ऐजेंट, खरीददार, पल्लेदार संसाधित करने वाले, भंडार करने वाले, व्यापारी तोलने वाला तथा अन्य ऐसे व्यक्ति से है जो उप नियम के तहत अधिसूचना द्वारा बाजार में काम करने वाला घोषित किया जाए।

(ध) "विपणन सेवा" से अभिप्राय धारा 75 के तहत गठित कृषि विपणन सेवा से है।

(न) "अधिसूचना" से अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है।

(प) "अधिसूचित कृषि उत्पाद" से अभिप्राय धारा 4 के तहत अधिसूचित कृषि उत्पाद से है।

(फ) "सरकारी गजट" से अभिप्राय दिल्ली गजट से है।

(ब) "विहित" से अभिप्राय इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा विहित से है।

(भ) "संसाधित करना" से अभिप्राय चूरा बनाना, पीसना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, हल्का उबालना, पॉलिश करना, ओटाई करना, पेरना, अथवा अन्य किसी शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक अथवा भौतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा कच्चा कृषि उत्पाद संसाधित किया जाता है, में से किसी एक अथवा एक से अधिक प्रक्रियाओं से है।

(म) "संसाधित करने वाले" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद का स्वयं अथवा प्रभार देकर संसाधन करता है।

(य) "खुदरा बिक्री" से, किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के संबंध में अभिप्राय उत्पाद की उस सीमा तक बिक्री से है जिसे विपणन समिति, उप नियमों द्वारा खुदरा बिक्री के रूप में तय करें।

(र) "नियमों" से अभिप्राय इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों से है।

(ल) "अनुसूची" से अभिप्राय इस अधिनियम की अनुसूची से है।

(व) "सचिव" से अभिप्राय विपणन समिति के सचिव से है।

(श) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।

(ष) "विक्रेता" से,अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद को बेचता अथवा बेचने को सहमत होता है। तथा इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐजेंट अथवा नौकर या कमीशन ऐजेंट के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बिक्री करता है।

(स) "जाँचकर्ता" (सर्वेयर) से अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो अधिसूचित कृषि उत्पाद के किसी बाजार क्षेत्र अथवा बाजार में बिक्री के लिए आने पर गुणवता, उसकी प्रतिरक्षण, मिलावट तथा ऐसे अन्य कारकों की दृष्टि से उसकी जाँच करता है।

(ह) "व्यापारी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो सामान्यतः किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद का स्वयं अथवा प्राधिकृत ऐजेंट के रूप में खरीद अथवा बिक्री, भंडारण या संसाधित करने का कारोबार करता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्ति किसान है अथवा नही तो ऐसा मामला निदेशक के पास भेज दिया जाएगा और इस बारे में उनका निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 2

बाजार–क्षेत्र स्थापित करना

3. किसी क्षेत्र विशेष में अधिसूचित कृषि उत्पादों के विपणन को नियमित करने के इरादे की अधिसूचना.

(1) सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर अथवा यथा निर्धारित किए अन्य किसी तरीके से, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी कृषि उत्पाद को क्षेत्र विशेष में नियमित करने के इरादे को घोषित कर सकती है।

परन्तु यह और कि अधिसूचना में ऐसा कोई क्षेत्र शामिल नही किया जाएगा जिसके बारे में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली छावनी परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, से विचार–विमर्श न किया गया हो।

(2) यह अधिसूचना कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, उन भाषाओं में प्रकाशित होनी चाहिए जिन्हें सरकार समय–2 पर आदेश द्वारा निर्धारित करे या इसके लिए वह तरीका अपनाया जाए जो सरकार की राय में उपयुक्त हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस इरादे की जानकारी हो सके।

(3) उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि इस बारे में जो भी आपत्तियाँ अथवा अधिसूचना में उल्लिखित सुझाव पैंतीस दिनों के भीतर सरकार को प्राप्त होगें, उन पर विचार किया जाएगा।

4. बाजार–क्षेत्र घोषित करना तथा कृषि–उत्पाद को नियमित करना.

(1) धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में उल्लिखित समय–सीमा की समाप्ति पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद और जहाँ कहीं सरकार आवश्यक समझे, निर्धारित विधि के अनुसार जाँच करके अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को बाजार–क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसमें इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचना में उल्लिखित कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के तहत की गई घोषणा भी कम से कम दो समाचार पत्रों में उन भाषाओं में प्रकाशित होगी जिन्हें सरकार इस बारे में समय–2 पर आदेश जारी कर निर्धारित करे या इसके लिए वह तरीका अपनाया जाए जो सरकार की राय में उपयुक्त हो और जिससे उस क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को इस पूर्वोक्त घोषणा की जानकारी हो सके।

(3) उपधारा (1) के तहत घोषणा किए जाने पर अन्य किसी विधि, जो उस समय लागू हो, में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई स्थानीय प्राधिकरण उक्त घोषणा में उल्लिखित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए बाजार–क्षेत्र में अन्य कोई स्थान विपणन के लिए नहीं बनायेगा, न प्राधिकृत करेगा, न स्थापित करने की अनुमति देगा, न जारी रहने देगा और न जारी रखने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(4) धारा 3 में उल्लिखित विधि के अनुसार सरकार किसी भी समय बाजार–क्षेत्र से किसी क्षेत्र को निकाल सकती है अथवा उसमें अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ सकती है या किसी बाजार–क्षेत्र से किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के विनियमन की समाप्ति की अथवा किसी ऐसे कृषि उत्पाद के विपणन के विनियमन की घोषणा कर सकती है जो अब तक कि विनियमन नहीं होता था।

अध्याय 3

दिल्ली कृषि विपणन परिषद का गठन और शक्तियाँ

5. दिल्ली कृषि विपणन परिषद की स्थापना और गठन।

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सरकार एक परिषद की स्थापना करेगी जिसे "दिल्ली कृषि विपणन परिषद" के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष तथा सरकार द्वारा नामित पंद्रह अन्य सदस्य होंगे जिनमें से सात सरकारी तथा आठ गैर सरकारी सदस्य होंगे। ये सदस्य निम्न प्रकार से होंगें :–

(क) सरकारी सदस्य :–

(1) निदेशक जो कि परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होंगें।

(2) दिल्ली सरकार के विकास विभाग के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक कृषि विभाग और दूसरा सहकारी विभाग की ओर से होगा।

(3) सरकार के खाद्य–आपूर्ति एवं उपभोक्ता–मामले विभाग का एक प्रतिनिधि जो उपायुक्त पद से कम का न हो।

(4) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम से एक–एक प्रतिनिधि जो कि अपने–2 निकायों के योजना विभाग से सम्बद्ध होंगें।

(5) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनके प्रतिनिधि।

(ख) गैर सरकारी सदस्य :–

(1) दो किसान, जो विपणन समितियों के सदस्य हों।

(2) दो सदस्य, जो किसानों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों।

(3) एक सदस्य, जो धारा 80 के तहत लाइसेंस धारी व्यापारियों तथा कमीशन ऐजेंटों का प्रतिनिधित्व करता हो, निर्धारित तरीके से निर्वाचित होगा।

(4) एक सदस्य, जो कि कृषि उत्पाद के विपणन में लगी सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(5) दो सदस्य, जो कि उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से एक दिल्ली विधान सभा का सदस्य होगा।

(2) उपाध्यक्ष परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगें।

6. परिषद का निगमीकरण.

परिषद, एक निगमित निकाय होगी जिसका नाम "दिल्ली कृषि विपणन परिषद" होगा, जो कि निरंतर क्रम से चलेगी तथा उसकी एक सामान्य मोहर होगी, संपत्ति प्राप्त करने, रखने तथा उसका निपटान करने आदि के लिए जिसकी शक्तियाँ अधिनियम क उपबंधों के अनुसार होगी तथा वह उक्त नाम से मुकदमा चला सकेगी तथा उसके विरूद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा।

7. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सदस्य सरकार की इच्छा–पर्यंत अपने पदों पर बने रहेंगें। प्रत्येक गैर–सरकारी सदस्य पाँच वर्ष के लिए होगा। तथा पुनः नामित होने का पात्र होगा, परन्तु गैर–सरकारी सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके स्थान पर किसी का नामांकन न हो जाए और वह अपना कार्यभार ग्रहण न कर ले।

8. सदस्यता के लिए अयोग्यता — कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नामित किए जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह:–

(क) सामान्यतः दिल्ली में नहीं रहता;

(ख) पच्चीस वर्ष से कम आयु का है;

(ग) धारा 50 के तहत किसी विपणन समिति से उसकी सदस्यता समाप्त की गई है;

(घ) यदि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस आशय की घोषणा की गई है;

(ङ) अथवा दिवालिया है;

(च) दिल्ली अथवा दिल्ली से बाहर किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक मामले में दोषी पाया गया है जो सरकार की राय में नैतिक चरित्रहीनता का मामला है; लेकिन दोषी पाये जाने के कारण अयोग्यता दोष मुक्त होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि बीत जाने पर लागू नहीं होगी।

9. अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता — (1) अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) परिषद की बैठक में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान, बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाएगा। समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, जब वह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हों, निर्णायक मताधिकार का प्रयोग करेंगें।

10. परिषद की बैठकों में गणपूर्ति — परिषद की बैठक में गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी; परन्तु यदि, कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी गई हो तो नियमानुसार आयोजित की जाने वाली अगली बैठक में उन्हीं कार्यों के निपटारे के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

11. अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्यागपत्र — (1) परिषद का अध्यक्ष सरकार को सम्बोधित कर स्वयं पत्र लिखकर उसे निदेशक को देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(2) कोई सदस्य, सरकार को सम्बोधित कर स्वयं पत्र लिखकर उसे परिषद के अध्यक्ष को देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के तहत दिया गया त्याग पत्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

12. परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन, भत्ते तथा अन्य लाभ — (1) परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इस बारे में बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित वेतन अथवा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगें। यदि परिषद के अध्यक्ष गैर–सरकारी अधिकारी नियुक्ति किए जाते हैं , तो उनकी परिलब्धियाँ तथा अन्य लाभ सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएगें।

(2) परिषद के सदस्य, परिषद की बैठकों में भाग लेने अथवा परिषद द्वारा सौंपें गए अन्य किसी कार्य के लिए, इस बारे में बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित भत्ते तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. गैर सरकारी सदस्यों का हटाया जाना — सरकार परिषद के किसी गैर–सरकारी सदस्य को सदस्य–पद से हटा सकती है, यदि वह सदस्य धारा 8 में उल्लिखित अयोग्यताओं के अन्तर्गत आ जाता है या सरकार की राय में अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता अथवा उसने उन हितों का प्रतिनिधित्व

करना छोड़ दिया है जिनके लिए उसे नामित किया गया था;

परन्तु किसी भी सदस्य को उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण के तौर पर कारण बताने का समुचित अवसर दिये बिना उसके पद से नही हटाया जाएगा।

14. आकस्मिक रिक्तियों का भरना। कार्य अवधि पूरी हो जाने के अलावा उत्पन्न हुई सदस्य की रिक्ति को सरकार द्वारा नामांकन द्वारा यथाशीघ्र भरा जाएगा। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सम्बद्ध सदस्य की शेष अवधि तक अपने पद पर रहेगा।

15. परिषद के बजट–आकलनों का अनुमोदन.

(1) इस अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के अनुसार आगामी वर्ष के लिए परिषद की वार्षिक आय तथा व्यय का ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर परिषद द्वारा पास किया जाएगा तथा निर्धारित तारीख के अन्दर सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

(2) सरकार परिषद के बजट को ज्यों का त्यों अनुमोदित कर सकती है अथवा ऐसे संशोधन कर सकती है जैसा वह उचित समझे और इस प्रकार सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया बजट परिषद का वार्षिक बजट होगा।

(3) सरकार द्वारा यथा अनुमोदित बजट, प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के अन्दर–2 परिषद को वापस किया जाएगा और यदि यह दो महीने की निर्धारित अवधि में नहीं लौटाया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि परिषद द्वारा प्रस्तुत बजट सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

16. रिक्तियों का परिषद की कार्यवाही पर प्रभाव न होना. परिषद का कोई कार्य अथवा कार्यवाही मात्र इस कारण से अमान्य नहीं होगी कि इसमें किसी सदस्य की रिक्ति है अथवा उसके गठन में कोई कमी है।

17. परिषद की शक्तियाँ और कार्य.

(1) परिषद, विपणन समितियों पर निगरानी तथा नियंत्रण रखेगी।

(2) सरकार परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या परिषद द्वारा इसके लिए प्राधिकृत अन्य कोई कर्मचारी किसी विपणन समिति अथवा उसके किसी व्यापारी, भंडार–कर्ता या बाजार–क्षेत्र में काम करने वाले अन्य किसी व्यक्ति को बुला सकते हैं, कृषि उत्पाद से संबंधित कोई सूचना अथवा ब्यौरा ले सकते हैं और उन्हें विपणन समिति, व्यापारी, भंडारकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति के अभिलेख तथा लेखों की जाँच करने की शक्ति होगी, तथा उन्हें अधिसूचित कृषि उत्पाद की गाड़ियों और पात्रों आदि के लेखों और रिकार्ड को रसीद द्वारा जब्त करने अथवा अपने कब्जे में लेने की शक्ति भी होगी।

(3) परिषद अपने तथा विपणन समितियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए परिषद अथवा विपणन समितियों के अधिकारी/अधिकारियों को प्राधिकृत करेगा और निवारक उपाय करेगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके तहत बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अनुसार परिषद अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जितने वह उचित समझे। उनकी भर्ती– पद्धति, वेतनमान तथा अन्य सेवा–शर्तें परिषद द्वारा इसके लिए बनाये गये विनियमों के अनुसार होगी।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत परिषद निम्नलिखित कार्य करेगी और उसे इन कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इन कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक या कालोचित है।

(1) विपणन समितियों की कार्यप्रणाली में समन्वय तथा इसके अन्य कार्यों में सहयोग करना जिनमें मण्डी क्षेत्र में मण्डियों, लघु मण्डियो की जाँच चौकियों और अन्य स्थलों के अनुरक्षण के लिए किये गये कार्य भी शामिल है।

(2) कृषि उत्पाद के लिए बाजारों की योजना और विकास–कार्य करना।

(3) विपणन विकास निधि की व्यवस्था करना।

(4) सामान्यतः कृषि विपणन समितियों को निर्देश जारी करना अथवा एक या अधिक समितियों को विशेष रूप से उनमें सुधार करने की दृष्टि से निर्देश देना।

(5) इस अधिनियम द्वारा उसे विशेष रूप से सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

(6) सरकार द्वारा परिषद को सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्य।

(6) पूर्वोक्त उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के कार्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे :–

(क) बाजार स्थापित करने के लिए नये स्थानों के चयन के प्रस्तावों पर विचार करना तथा धारा 22 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रमुख तथा लघु मण्डियों की स्थापना के लिए निदेशक को संस्तुति करना।

(ख) बाजार तथा बाजार क्षेत्र में संरचनात्मक सुविधायें प्रदान करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।

(ग) बाजार का निमार्ण करना अथवा बाजारों के लिए निर्माण की कार्य योजना, डिजाइन तथा आक्लनों को अनुमोदित करना।

(घ) विपणन समिति द्वारा शुरू किये गए अनुरक्षण एवं सुधारात्मक कार्यों के लिए योजनाओं तथा आक्लनों को तैयार करने में मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना तथा अनुमोदन करना।

(ङ) मण्डी विकास निधि से प्रभारीय सभी कार्यों का कार्यान्वयन।

(च) कृषि उत्पादन को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहित करना।

(छ) निर्धारित विधि के अनुसार लेखों को रखना तथा निर्धारित विधि के अनुसार उनकी लेखा–परीक्षा करना।

(ज) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में प्रगति रिपार्ट, तुलन–पत्र तथा परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण तैयार करना तथा उनकी प्रतियाँ परिषद के सभी सदस्यों तथा एक प्रति सरकार को भेजना।

(झ) अधिसूचित कृषि उत्पादों के नियमित–विपणन से संबंधी मामलों के प्रचार–प्रसार के लिए अपेक्षित व्यवस्था करना।

(ञ) परिषद तथा विपणन समितियों के अधिकारियों तथा स्टाफ–सदस्यों के लिए प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराना।

(ट) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना तथा स्वीकार करना।

(ठ) विपणन समितियों के बजट अनुमोदित करना।

(ड) परिषद द्वारा यथा निर्धारित शर्तों पर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विपणन समितियों को अधिक सहायता अथवा ऋण प्रदान करना।

(ढ) कृषि–विपणन से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी अथवा कार्यशालाओं अथवा प्रदर्शनियों की व्यवस्था अथवा आयोजन करना।

(ण) ऐसे अन्य कार्य करना जो विपणन समिति के हित में हो अथवा जो परिषद या विपणन समितियों की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(त) विपणन प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण या उपलब्ध कराना और जब कभी आवश्यकता हो मन्डी समितियों को मण्डी सहायता उपलब्ध कराना।

18. उपाध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ, परिषद के उपाध्यक्ष :–

(1) परिषद के मुख्य कार्यपालक के रूप में सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे; तथा परिषद के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों की नियुक्तियाँ और उन पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेंगे तथा उन सभी मामलों को जो सेवा विनियमों में यथा उल्लिखित कार्यकारी अथवा प्रशासनिक प्रकृति के हों।

(2) लेखों और अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करेंगें।

(3) विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करेंगें।

(4) विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार परिषद तथा विपणन सेवा के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति करेंगें।

(5) स्वीकृत कार्यों तथा अन्य मदों पर परिषद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विपणन विकास निधि से खर्चा करेंगे।

(6) आपातकाल मे किसी कार्य को आरंभ अथवा रोकने के निर्देश देंगे अथवा ऐसा अन्य काई भी कार्य कर सकेंगे जिसके लिए परिषद का अनुमोदन अपेक्षित हो।

(7) परिषद का वार्षिक बजट तैयार करेंगे।

(8) परिषद की आंतरिक लेखा–परीक्षा की व्यवस्था करेंगे।

(9) परिषद द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करेंगे।

(10) परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठायेगें।

(11) विपणन समितियों द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा उपचारात्मक उपाय करेंगे।

(12) विपणन समितियों के ऐसे कार्यों की सरकार को रिर्पोट करेंगे जो इस अधिनियम या नियमों, विनियमो तथा उसके तहत बनाये गये उप–नियमों के उपबन्धों के विपरीत हो तथा

(13) ऐसे कदम उठायेगें जो परिषद के प्रभावी कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

19. परिषद के सचिव के काय. परिषद के सचिव :–

(1) परिषद की बैठकें आयोजित करेंगें।

(2) निर्धारित तरीके से परिषद की बैठकों के कार्यवृत का रिकार्ड रखेंगे।

(3) उपाध्यक्ष द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

20. परिषद द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन. सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिसूचना द्वारा विनियम, नियम व उपनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, परिषद अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति अपने उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, जो कि इस अधिनियम और उसके तहत बनाये गए नियमों से असंगत न हो।

21. परिषद के कार्यों को चलाने के लिए विनियम बनाने की शक्तियाँ.

(1) परिषद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद विनियम बना सकती है। ये विनियम इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों से असंगत नहीं होगें।

(2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये विनियम निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा उनमें से किसी एक के लिए होगें :–

(1) परिषद की बैठकें बुलाना और आयोजित करना, ऐसी बैठकों के लिए समय और तारीख तय करना तथा बैठकों की कार्यवाही चलाना;

(2) परिषद तथा विपणन समितियों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(3) परिषद तथा विपणन समितियों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, ऋण और अग्रिम तथा अन्य सेवा शर्तें;

(4) दिल्ली कृषि विपणन सेवा के सदस्यों की भर्ती, योग्यता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, अवकाश–भत्ता, कार्यवाहक–भत्ता, ऋण, पेंशन, उपदान, वार्षिकी, करूणामूलक निधि, भविष्य निधि, निलंबन, बरखास्तगी, आचरण, विभागीय दंड, अपील तथा अन्य सेवा–शर्तें;

(5) विपणन समिति तथा परिषद की संपत्ति का प्रबंधन;

(6) परिषद की ओर से सम्पत्ति के करार आदि को लागू करना;

(7) परिषद के लेखों का रख रखाव तथा तुलन–पत्र तैयार करना;

(8) इस अधिनियम के तहत परिषद के कार्य–संचालन की प्रक्रिया;

(9) अन्य कोई मामला जिसके लिए विनियमों में उपबन्ध बनाया जाना अपेक्षित हो।

22. परिषद का विघटन, सरकार, परिषद पर निगरानी तथा नियंत्रण रखेगी और इससे वे सभी जानकारी ले सकेगी जो वह आवश्यक समझे और यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि परिषद ठीक से काम नहीं कर रही है या इस अधिनियम के द्वारा तथा उसके तहत उसे सौपें गये कर्तव्यों के निष्पादन में निरंतर गलतियां कर रही है या अपनी शक्तियों से बाहर कार्य कर रही है अथवा उनका दुरूपयोग कर रही है या वह भ्रष्टाचार अथवा कुप्रबंधन की दोषी है, तो सरकार, कारणों के विवरण सहित आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित परिषद का, नई परिषद के गठन होने तक, विघटन कर सकती है और परिषद के कार्य निष्पादन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जैसी वह उचित समझे।

लेकिन इस प्रकार के विघटन का कोई आदेश तब तक नही किया जा सकेगा जब तक कि परिषद को उसके विरूद्ध प्रस्ताविक कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाए।

यह और कि परिषद के विघटन की तारीख से छः महीने के अंदर नई परिषद का गठन कर दिया जाएगा।

अध्याय 4

मण्डियों की स्थापना तथा भूमि का अधिग्रहण

23. बाजारों की स्थापना। (1) अधिसूचित कृषि उत्पादों के विपणन के लिए प्रत्येक मण्डी–क्षेत्र के लिए एक या अधिक मुख्य बाजार स्थापित किए जाएगें और आवश्यक समझे जाने पर एक या अधिक गौण बाजार भी स्थापित किए जाएगें।

(2) धारा 4 की उपधारा (1) के तहत घोषणा होने के बाद निदेशक यथाशीघ्र अधिसूचना द्वारा किसी बाजार क्षेत्र में किसी स्थान (जिसमें ढाँचा, खुली जगह या स्थान भी शामिल है) को ऐसी अधिसूचना में निर्धारित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए मुख्य बाजार बना सकते हैं और उसी अथवा दूसरी अधिसूचना द्वारा किसी बाजार क्षेत्र में ऐसे कृषि उत्पाद के विपणन हेतु एक या अधिक गौण बाजार बना सकते हैं।

24. बाजारों के के लिए भूमि अधिग्रहण, (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए जब बाजार क्षेत्र में भूमि अपेक्षित हो तथा परिषद करार द्वारा उसके अधिग्रहण में असमर्थ हो तो परिषद के अनुरोध पर उप राज्यपाल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 की सं०1) के उपबंधों के तहत ऐसी भूमि का अधिग्रहण कर सकते है जिसके लिए इस अधिनियम के तहत घोषित मुआवजा तथा उपराज्यपाल की ओर से ऐसे अधिग्रहण के लिए देय अन्य प्रभारों का भुगतान परिषद द्वारा किया जाएगा और उसके बाद वह भूमि परिषद अथवा विपणन समिति जैसी भी स्थिति हो, की होगी।

परन्तु परिषद द्वारा एक बार इस तरह का प्रस्ताव किए जाने के बाद वापस नही लिया जाएगा। यह केवल तभी वापस लिया जा सकेगा, जब इसके लिए लिखित कारण बताया जाए और उसे उपराज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हो।

(2) उपधारा (1) के तहत परिषद या मण्डी समिति के लिए अधिग्रहित की गई या जो भूमि परिषद के पास है उसका हस्तान्तरण उपराज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाएगा और न ही ऐसी भूमि का उपयोग उस उद्देश्य से भिन्न किसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह अधिग्रहित की गई है।

अध्याय 5

राष्ट्रीय महत्व की मंण्डिया

25. परिभाषा. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में :

(क) "मण्डी से अभिप्राय" राष्ट्रीय महत्व की मण्डियों से है और

(ख) "विपणन समिति" से अभिप्राय राष्ट्रीय महत्व की कोई विपणन समिति से है।

26. राष्ट्रीय महत्व के बाजारों और उनकी विपणन समितियों की स्थापना : (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी क्षेत्र में किरी वस्तु के राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से उसके प्रभावी विपणन का विनियमन सुनिश्चित करना समायोचित है तो वह स्थापित कर सकेगा।

(क) ऐसे क्षेत्र में विशेष मण्डि[illegible] स्थापित कर सकती है जिन्हें उस वस्तु के लिए "राष्ट्रीय महत्व की मण्डी" के रूप [illegible] जाना जाएगा।

(ख) स्वतंत्र विपणन समितियाँ बना सकती है जिन्हें "राष्ट्रीय महत्व के बाजारों की विपणन समितियाँ" के रूप में जाना जाएगा, भले ही वह क्षेत्र किसी अन्य विपणन समिति अथवा उस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत समिति की क्षेत्र–सीमा में आता है।

(2) कारोबार, उपभोक्ताओं की संख्या, कीमत–निर्धारण में राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने के बाद सरकार किसी क्षेत्र को विशेष बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसे "राष्ट्रीय महत्व के बाजार" के रूप में जाना जाएगा परन्तु इस प्रकार का कोई बाजार स्थापित नहीं किया जाएगा।

(क) यदि इसमें प्रतिवर्ष कारोबार एक लाख टन उत्पाद से कम है;

(ख) यदि इसमें कुल उत्पाद–कारोबार का तीस प्रतिशत से कम है जो दो या अधिक राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों से आता है; अथवा

(ग) यदि बाजार उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तु की कीमत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित नही करता है।

27. राष्ट्रीय महत्व के बाजार की विपणन समिति का गठन. धारा 26 की उपधारा (1) के तहत गठित प्रत्येक विपणन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगें :–

(क) सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य जो दिल्ली में रह रहे किसानों में से होगें।

(ख) निर्धारित तरीके से निर्वाचित तीन सदस्य ऐसे व्यापारियों या कमीशन एजेंटों में से होंगे जिनके पास दिल्ली में किसी भी विपणन समिति का लाइसेंस होगा, लेकिन कम से कम दो सदस्य उन व्यापारियों में से होंगे जिनके पास धारा 26 की उपधारा (1) के तहत गठित विपणन समिति का लाइसेंस होगा।

(ग) सरकार द्वारा नामित परिषद का एक सदस्य।

(घ) निदेशक अथवा उनका नामित व्यक्ति (पदेन–सदस्य)।

(ङ) दूसरे राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के तीन प्रतिनिधि जो कि राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक जैसी भी स्थिति हो, से विचार विमर्श करके सरकार द्वारा नामित किए जाएगें;

लेकिन ये प्रतिनिधि उन क्षेत्रों के "किसान" हो जहां से धारा 26 की उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तु प्राप्त होती है।

(च) विपणन समिति के सचिव (पदेन)।

(छ) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार का एक प्रतिनिधि ।

28. विपणन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. विपणन समिति के सदस्यों में से सरकार द्वारा नामित इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे।

29. सदस्यों का कार्यकाल सदस्य पाँच वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सरकार की इच्छा पर्यंत अपने पदों पर बने रहेंगे।

30. विपणन समिति के बैठक. धारा 26 की उपधारा (1) के तहत गठित विपणन समिति की बैठक कम से कम दो कैलेण्डर माह में एक बार होगी।

31. राष्ट्रीय स्तर के बाजारों की कार्यकारिणी और इसका गठन.

(1) विपणन समिति की एक कार्यकारिणी होगी :—

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रकार से होगा :—

(1) विपणन समिति के अध्यक्ष

(2) सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि जिनमें से एक विपणन समिति का लाइसेंसधारी व्यापारी या कमीशन एजेंट होगा तथा दूसरा किसानों का प्रतिनिधि होगा।

(3) सरकार द्वारा नामित परिषद का एक सदस्य।

(4) निदेशक अथवा उनका नामित व्यक्ति।

(5) उस राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का एक प्रतिनिधि जहाँ से कृषि उत्पाद दिल्ली में आता है, राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासक जैसी भी स्थिति हो के साथ विचार–विमर्श से सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(6) धारा 27 के तहत गठित की गई समिति के सचिव, सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

(3) आपातकालीन स्थितियों में समिति की कार्यकारिणी उन मुद्दों पर निर्णय ले सकेगी जिनके लिए विपणन समिति का अनुमोदन अपेक्षित है। परन्तु इस प्रकार के निर्णय जिस तारीख को लिए गए हैं उससे पैंतालिस दिन के अन्दर–2 विपणन समिति द्वारा अनुमोदित कराये जाएगें। ऐसा न करने अथवा उन्हें अनुमादित न किए जाने की स्थिति में वे निर्णय निरस्त समझे जाएगें परन्तु इस प्रकार से अनुमोदित न किए गए निर्णय का उस निर्णय के तहत किए गए कार्य की वैद्यता पर प्रभाव नही पड़ेगा;

परन्तु यदि विपणन समिति ऐसे निर्णय में कोई संशोधन करती है तो वह निर्णय संशोधन की तारीख से संशोधित रूप में लागू होगा।

32. कार्यकारिणी की बैठकें. कार्यकारिणी की बैठक आवश्यकतानुसार होगी लेकिन कम से कम महीने में एक बार जरूर होगी।

33. कार्यकारिणी के सदस्यों का कार्यकाल. समिति की कार्यकारिणी के सदस्य सरकार की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगें।

34. विपणन समिति के सचिव की नियुक्ति और कार्य

(1) समिति के सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र सिविल–सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी, जो कम से कम दस वर्षों की सेवा कर चुके हों।

(2) धारा 31 में उल्लिखित कार्यकारिणी की देख रेख तथा नियंत्रण में पर्यवेक्षण सचिव

(1) प्रशासन संबंधी मामलों में विपणन समिति के अधिकारियों तथा स्टाफ–सदस्यों पर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेंगे।

(2) जिन मदों के लिए विधिवत स्वीकृति हो चुकी है उन पर विपणन समिति की निधियों से खर्च करेंगे।

(3) आपातकाल में किसी ऐसे कार्य को शुरू करवाएंगे अथवा रूकवाएंगे जिसके लिए परिषद अथवा विपणन समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

(4) इस अधिनियम अथवा उसके तहत बनाये गये नियमों, विनियमों अथवा उपनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलायेंगे।

(5) मण्डी में कार्य करने वालों को लाइसेंस जारी करेंगे।

(6) विपणन समिति का वार्षिक बजट तैयार करेंगे।

(7) विपणन समिति तथा कार्यकारिणी की बैठक बुलायेंगे तथा उन बैठकों की कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेंगे।

(8) विपणन समिति द्वारा शुरू किए गए विकास तथा रखरखाव संबंधी कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण की रिर्पोट विपणन समिति के अध्यक्ष को भेजेंगे।

(9) विपणन समिति अथवा विपणन समिति के सदस्यों (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित) के ऐसे कार्यों की रिर्पोट परिषद के उपाध्यक्ष को करेंगे जो इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों विनियमों तथा उपनियमों के उपबंधों के प्रतिकूल हो। उपाध्यक्ष वह रिपोर्ट सरकार को करेंगें।

(10) ऐसे कदम उठायेंगे जो विपणन समिति के कार्यों तथा निर्णयों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे जाएँ।

अध्याय 6

विपणन समिति का गठन

35. विपणन समिति का निर्माण।

(1) धारा 26 के उपबंधों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर प्रत्येक बाजार क्षेत्र के लिए विपणन समिति और विभिन्न विपणन समितियाँ गठित की जाएगी और उसी बाजार क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में विपणित अधिसूचित विभिन्न कृषि उत्पादों के विपणन के नियमन हेतु विभिन्न विपणन समितियाँ गठित की जा सकती है।

(2) प्रत्येक विपणन समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा वे कार्य करेगी जो उसे इस अधिनियम के द्वारा तथा इसके तहत प्राप्त होंगे।

36. विपणन समिति का गठन।

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुरूप सरकार निम्नलिखित ग्यारह सदस्यों से विपणन समिति गठित कर सकती है :–

(क) तीन व्यक्ति, जो किसान हों और उनके पास यथा निर्धारित योग्यता हो; परन्तु उनमें से एक अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए।

(ख) दो सदस्य, व्यापारियों तथा कमीशन ऐजेंटों में से जिनके पास बाजार क्षेत्र में कार्य करने के लाइसेंस हों, निर्धारित विधि से चुने जाऐंगें।

(ग) एक सदस्य, बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पाद के व्यापार अथवा उसके संस्करण में लगी सहकारी समितियों के प्रधान अथवा अध्यक्ष में से सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(घ) एक सदस्य उस स्थानीय प्राधिकरण से चुना जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा में विपणन समिति का मुख्य बाजार स्थित है;

लेकिन जिस व्यक्ति को धारा 79 के तहत लाइसेंस दिया गया है वह इस खंड के तहत चुने जाने का पात्र नही होगा।

(ङ) एक सदस्य, निर्धारित विधि से तौलने वालों तथा मापने वालों में से चुना जाएगा।

(च) एक सदस्य, दिल्ली विधान सभा से अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाएगा।

(छ) दो सदस्य, सरकार द्वारा नामित किये जाएगें जिनमें से एक उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) इस अधिनियम के तहत पहली बार विपणन समिति का गठन होने पर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य सरकार द्वारा नामित किए जाएगें।

(3) प्रत्येक विपणन समिति का एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा।

(4) उपधारा (2) के उपबंधों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विपणन समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाएगें।

37. विपणन समिति का निगमीकरण

प्रत्येक विपणन समिति राष्ट्रीय महत्व की मण्डी (मण्डियों) के लिए विपणन समिति सहित एक निगमित निकाय होगी और उसका वह नाम होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा तय करे और इसका क्रम निरंतर बना रहेगा तथा इसकी एक मोहर होगी तथा इसे इस अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के साथ शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिससे वह संपत्ति का करार, अधिग्रहण तथा निपटारा कर सकेगी। संपत्ति में चल व अचल दोंनो प्रकार की संपत्ति शामिल है। वह मुकदमा चला सकेगी और इस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा।

38. विपणन समिति के सदस्यों के चुनाव की रीति

चुनाव की रीति, मतदाता सूचियाँ तैयार करना तथा उनका रख रखाव करना, सदस्यता तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए योग्यताएँ एवं अयोग्यताएँ, मत देने का अधिकार, जमा तथा जब्त करना, चुनाव–विवादों को सुलझाना, निर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकाशित करना तथा उससे संबंधित सभी मामले यथा निर्धारित रीति के अनुसार होगें।

39. सदस्यों का चुनाव न हो पाना

यदि किसी कारण से किसी श्रेणी के मतदाता विपणन समिति के सदस्य का चयन नहीं कर पाते है तो निदेशक सरकारी राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर प्रकाशन की तारीख से एक महीने के अंदर अपेक्षित सदस्यों का चुनाव करने को कहेंगे और यदि उक्त अवधि में अपेक्षित सदस्यों का चयन नहीं हो पाता है तो सरकार उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को, जो इस अधिनियम के तहत चुने जाने की योग्यता रखते हों, नामित कर सकेगी।

40. विपणन समिति के सदस्यों के नामों का प्रकाशन

विपणन समिति के सदस्यों के नाम यथाशीघ्र यथा संभव सरकरी गजट में प्रकाशित किए जायेगें। किसी विपणन समिति के सभी सदस्यों के नाम प्रकाशित होने पर अथवा कम से कम नौ सदस्यों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने पर यह माना जाएगा कि विपणन समिति का विधिवत् गठन हो गया है।

41. विपणन समिति का कार्यकाल

इस अधिनियम मे की गई अन्यथा–व्यवस्था को छोड़कर विपणन समिति धारा 40 के तहत अपने गठन की तारीख से तीन वर्ष तक कार्य करेगी;

लेकिन सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी अवधि को उतनी बढ़ा सकती है जितनी वह उचित समझे लेकिन यह एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

42. चुनाव–निधि की स्थापना

(1) मतदाता सूची तैयार करने तथा विपणन समिति के चुनाव करने संबंधि कार्यकलापों पर निदेशक निगरानी रखेंगे, निर्देश देंगे तथा नियंत्रण रखेंगे।

(2) मतदाता सूची तैयार करने तथा विपणन समिति के चुनाव कराने संबंधी सभी खर्चे निदेशक के यथा अनुमोदन से चुनाव निधि या मण्डी निधि से अदा किए जायेंगे। इस उद्देश्य के लिए विपणन समिति निदेशक के पास उतनी धन राशि पहले से ही रखेगी जितनी वह उपधारा (1) के तहत उन्हें मिले कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक समझें।

43. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव और चुनाव–प्रक्रिया.

(1) धारा 39 के तहत नाम प्रकाशित होने के 30 दिन के अंदर अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए निदेशक विपणन समिति की पहली बैठक बुलायेंगे।

(2) इस प्रकार की बैठक की अध्यक्षता निदेशक अथवा उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति करेगा।

(3) विपणन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते समय पीठासीन प्राधिकारी के पास अध्यक्ष के रूप में शक्तियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव में बराबर मत रहते है तो चुनाव का परिणाम "ड्रॉ" द्वारा निकाला जाएगा जोकि बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में निर्धारित तरीके से होगा।

(5) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के चुनाव की वैधता के संबंध में उठने वाले किसी विवाद की स्थिति में, निदेशक, यदि वह पीठासीन अधिकारी है तो, स्वयं निर्णय करेंगें, और अन्य मामले में पीठासीन व्यक्ति विवाद को निर्णय के लिए निदेशक के पास भेजेगा और निदेशक का निर्णय, सरकार को अपील करने के अनुसार, अंतिम होगा और इस प्रकार के निर्णय के संबंध में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा, न हीं किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित पहली बैठक किसी कारण से उपरोक्त तीस दिन की अवधि में नहीं हो पाती तो निदेशक इसे आयोजित न कर पाने के कारणों को लिखित में सरकार को भेजेंगें और इस बारे में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगें।

44. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल,

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वे अपने उत्तराधिकारी के न आने तक अपने पद पर बने रहेंगें;

लेकिन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, यदि विपणन समिति के सदस्य नहीं रहते है तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।

45. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का त्यागपत्र.

(1) विपणन समिति के अध्यक्ष, निदेशक को लिखित में सम्बोधित त्यागपत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते है और वह इस्तीफा निदेशक द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) विपणन समिति के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित लिखित त्यागपत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और वह इस्तीफा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की तारीख से लागू होगा;

लेकिन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो के पद से दिया गया इस्तीफा विपणन समिति की सदस्यता से दिया गया इस्तीफा नहीं माना जाएगा।

46. अध्यक्ष के छुट्टी लिए बिना अनुपस्थित रहने के परिणाम

इस सम्बंध में निर्मित नियमों के अनुसार यदि निदेशक की अनुमति के बिना विपणन समिति के अध्यक्ष समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते है तो तीसरी बैठक की आयोजन तारीख को तथा उसके बाद से अध्यक्ष नहीं रहेंगें।

47. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के कार्यालयों में आकस्मिक रिक्ति.

(1) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के कार्यकाल में आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र निम्न प्रकार से भरी जाएंगी :–

(क) नामांकन द्वारा यदि विपणन समिति का गठन पहली बार हुआ है, और

(ख) अन्य किसी मामले में धारा 43 में दिए गए तरीके से।

(2) इस धारा के तहत रिक्ति भरने के लिए नामित अथवा निर्वाचित प्रत्येक अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष उस अवधि तक पद पर रहेंगे जिस अवधि तक यदि रिक्ति न होती तो वे रहते जिनके स्थान पर वे नामित अथवा निर्वाचित हुए हैं।

48. नये अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को कार्यभार सौपनें से मना करना,

(1) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, का नामांकन अथवा चुनाव होते ही कार्यमुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को शीघ्र कार्यभार सौंप देंगे।

(2) यदि कार्यमुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष उपधारा (1) के तहत अपना कार्यभार नहीं सौंपते हैं तो निदेशक अथवा इस कार्य के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति कार्यमुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को लिखित आदेश द्वारा विपणन समिति के सभी अभिलेखों, निधियों तथा संपत्तियों, जो समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के नाते उनके पास हों, को अपने उत्तराधिकारी को सौपने के लिए कह सकता है।

(3) यदि कार्यमुक्त होने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जिन्हें उपधारा (2) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, वह उनका अनुपालन नही करता है तो निदेशक अथवा उनके द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किए गये अन्य किसी व्यक्ति के पास वही शक्तियाँ होंगी जो डिक्री करार करते समय नागरिक–प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय को होती है।

49. सदस्यों का त्यागपत्र तथा कुछ परिस्थितियों में नामांकन ।

(1) विपणन समिति का कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। वह इस्तीफा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) यदि किसी समय सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी अथवा अधिकाश सदस्यों के इस्तीफे के कारण कोई विपणन समिति इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत प्रदत कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो वह इस्तीफे के कारण हुई रिक्तियों के लिए अधिसूचना द्वारा उस श्रेणी के सदस्यों को नामित कर सकती है और इस प्रकार नामित किए गए सदस्य विपणन समिति के शेष कार्यकाल तक अपने पद पर रहेंगें।

50. सदस्यों को दुराचरण के कारण हटाया जाना ।

सरकार विपणन समिति द्वारा पास किए गए संकल्प, जिसे समिति के कम से कम सात सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो, के आधार पर किसी सदस्य को निष्कासित कर सकती है यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने अथवा दुराचरण का दोषी पाया गया हो, उसने दुर्व्यवहार किया हो अथवा वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सक्षम न हो या दिवालिया घोषित कर दिया गया हो;

परन्तु इस प्रकार से किसी भी सदस्य को सरकार द्वारा उसे सुनवाई का मौका दिए बिना निष्कासित नहीं किया जाएगा।

51. आकस्मिक रिक्ति,

विपणन समिति के अध्यक्ष इस प्रकार की रिक्ति की सूचना शीघ्र निदेशक को देंगे, वह रिक्ति निर्धारित तरीके से सदस्यों की श्रेणी विशेष में से यथाशीघ्र भर ली जाएगी और वह सदस्य विपणन समिति के शेष कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहेंगे;

परन्तु यदि विपणन समिति का शेष कार्यकाल छह महीने से कम है तो, जब तक सरकार निर्देश न दे, इस प्रकार की रिक्ति को भरना आवश्यक नहीं है।

52. रिक्ति के दौरान सदस्यों का कार्य करना, विपणन समिति के कार्यों का अमान्य न होना,

विपणन समिति किसी सदस्य की रिक्ति के होते हुए अथवा इसके गठन में कोई कमी होते हुए भी कार्य कर सकेगी और उस विपणन समिति की कार्यवाहियाँ मान्य होंगी भले ही उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सदस्य न होते हुए भी बैठक में भाग लिया हो अथवा वोट दिया हो या अन्य किसी प्रकार से समिति की कार्यवाहियों में हिस्सा लिया हो।

53. विपणन समिति की बैठकों की प्रक्रिया ।

विपणन समिति की बैठक की गणपूर्ति तथा उसके लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया इस उद्देश्य के लिए विपणन समिति द्वारा बनाये गये उपनियमों के अनुसार विनियमित होगी।

54. सदस्यों को भत्तों का भुगतान। विपणन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को विपणन समिति-निधि से, निर्धारित मानदेय, बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क, यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते दिए जाएगें।

अध्याय 7
विपणन समितियाँ – शक्तियाँ और कर्तव्य

55. विपणन समिति की शक्तियाँ और कर्तव्य, (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विपणन समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(1) इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, विनियमों तथा उनके तहत बाजार-क्षेत्र के लिए बनाये उपविधियों के प्रावधानों को लागू करना;

(2) परिषद द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशानुसार अधिसूचित कृषि उत्पादों के लिए सुविधाएँ मुहैया कराना;

(3) बाजारों की निगरानी, निर्देश तथा नियंत्रण या बाजारों के नियंत्रण-नियमन या उपरोक्त से संबंधित मामलों के उद्देश्यों के लिए बाजार क्षेत्र को नियमित करने संबंधी मामलों में सभी अपेक्षित कार्य करेगी, इस उद्देश्य के लिए उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत उल्लिखित हैं।

(2) उल्लिखित उपबंधों की सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विपणन समिति:-

(क) बाजार में व्यक्तियों तथा वाहनों के प्रवेश को विनियमित कर सकती है;

(ख) बाजार में कारोबार करने के लिए आने वालों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकती है;

(ग) लाइसेंस दे सकती है, नवीकरण कर सकती है, मना, निलंबित अथवा रद्द कर सकती है;

(घ) अधिसूचित कृषि उत्पाद के व्यापार अथवा उससे जुड़े सभी मामलों के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझा सकती है;

(ङ) इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गए नियमों, विनियमों तथा विधियों का उल्लघंन करने के लिए व्यक्तियों को दण्डित कर सकती है;

(च) बाजार में प्रवेश और उसके प्रयोग की शर्तों के नियमन सहित बाजार के रख-रखाव और प्रबंध की व्यवस्था कर सकती है;

(छ) बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन का नियमन, तौल अथवा भेजने की व्यवस्था तथा ऐसे कृषि उत्पाद के लिए भुगतान की व्यवस्था कर सकती है;

व्याख्या :

खण्ड (छ) के उद्देश्यों के लिए "नियमन" शब्द में निम्नलिखित भी शामिल है :-

(1) किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए अनुबंध करना, कराना, लागू करना अथवा उसे रद्द करना;

(2) इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों तथा विधियों के तहत उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित कृषि उत्पाद बिक्री अथवा खरीद आयोजित करना अथवा उसका पर्यवेक्षण करना;

(3) वह स्थान निर्धारित करना जहाँ अधिसूचित कृषि उत्पाद का खुली नीलामी द्वारा बिक्री के लिए भण्डारण या प्रदर्शन किया जाएगा।

(4) नीलामी के लिए समय निर्धारित करना; और

(5) विपणन समिति के कर्मचारी की अनुपस्थिति में हुई नीलामी को रद्द करना।

(ज) निम्नलिखित संग्रहण की व्यवस्था :-

(1) बाजार क्षेत्र में इस प्रकार के कृषि उत्पाद जिनका सारा व्यापार इस उद्देश्य के लिए उस समय लागू किसी विधि द्वारा अथवा उसके तहत केवल सरकार द्वारा किया जाएगा, या

(2) बाजार क्षेत्र में ऐसे अन्य कृषि उत्पाद जिन्हें सरकार समय–2 पर सरकारी ,राजपत्र मे अधिसूचित करे;

(झ) कर्तव्यों के सुचारू रूप से निष्पादन के लिए आवश्यक होने पर चल अथवा अचल संपत्ति प्राप्त करना, रखना अथवा उसका निपटान करना।

(ट) अधिसूचित कृषि उत्पाद के उत्पादन, बिक्री भंडारण, संरकरण कीमत तथा आवागमन (फसल–आँकड़ें तथा विपणन आसूचना सहित) के संबंध में निदेशक अथवा परिषद द्वारा अपेक्षित सूचना एकत्रित करना, रखना और देना;

(ठ) यथानिर्धारित रूप से कृषि उत्पाद में अपमिश्रण को रोकने तथा स्तर–निर्धारण को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाना;

(ड) इस अधिनियम के तहत दिए गए लाइसेंसों की शर्तों सहित, अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों, विनियमों तथा विधियों के प्रावधानों को लागू करना;

(ढ) निर्धारित किए जाने पर अन्य अपेक्षित कार्य करना;

(ण) बाजार क्षेत्र में बिक्री के लिए लाए गए जानवरों, पशुओं अथवा पक्षियों के लिए पशु–चिकित्सक से आरोग्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

(त) पोस्टरों, पत्रकों, विज्ञापनों, बैठकों आदि के माध्यम से अथवा इससे अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे जाने वाले अन्य किन्हीं माध्यमों से विनियम के लाभों, व्यापार पद्धति बाजार में दी जाने वाली सुविधाओं आदि के बारे में प्रचार करना;

(थ) बाजार क्षेत्र में बिक्री–खरीद होने वाले दिन ही विक्रेता को भुगतान सुनिश्चित करना और भुगतान न होने की स्थिति में उस कृषि उत्पाद तथा खरीददार की कमीशन एजेंट या अन्य सम्पत्ति को जब्त करना यदि इसमें कमीशन एजेंट सम्मिलित न हो;

(द) बाजार क्षेत्र, उपक्षेत्र में बिके हुए कृषि उत्पाद की तुलाई तथा उसे लाने ले जाने के लिए तौलने वालों तथा पल्लेदारों की व्यवस्था करना;

(ध) खरीददार या बेचने वाले द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यदि तौलने वालों या पल्लेदारों को भुगतान न किए जाने पर उनको देय प्रमार वसूल करना और उन्हें देना।

56. विपणन समिति के अधिकारियों द्वारा लेखों आदि का निरीक्षण. किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद का कारोबार करने वाले व्यक्ति के सभी लेखों तथा अन्य रजिस्टरों तथा खरीद और माल भेजने से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों, जो कि उसके पास तथा उसके कार्यालय, दुकान, गोदाम, पात्र या वाहन में हो सकते हैं, की जाँच विपणन समिति द्वारा इस सम्बंध में लिखित में अधिकृत किए गए अधिकारी तथा कर्मचारी उचित समय पर कर सकेंगे।

57. लेखा पुस्तकों आदि को जब्त करना तथा उनकी जाँच करना. (1) धारा 55 में उल्लिखित विपणन समिति के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को यदि यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति बाजार–शुल्क अथवा इस अधिनियम या उसके तहत बनाये गए नियमों अथवा निधियों के तहत देय अन्य किसी प्रकार के शुल्क देने से बच गया है या बचने का प्रयास कर रहा है या किसी व्यक्ति ने अधिनियम या उसके तहत बनाये गए नियमों या विनियमों अथवा विधियों का उल्लंघन करते हुए किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद की खरीद की है, तो वह लिखित में कारण बताते हुए ऐसे व्यक्ति से उसके लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज, ऐसे व्यक्ति के वाहनों सहित अधिसूचित कृषि उत्पाद का भंडार जो आवश्यक हो अपने कब्जे में ले सकता है तथा इसके लिए प्राप्ति रसीद देगा। वह उन्हें अपने पास तब तक रखेगा जब तक स्पष्टीकरण प्राप्त करने अथवा मुकदमा चलाने के लिए उन्हें रखना आवश्यक हो, इसके बाद नहीं।

(2) धारा 56 अथवा उपधारा (1) के उद्देश्यों के लिए अधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसे व्यक्ति के कारोबार के किसी स्थान, भंडारण, कार्यालय, दुकान, गोदाम, पात्र अथवा वाहन की जाँच कर सकता है यदि उस ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति अधिसूचित कृषि उत्पाद के अपने कारोबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज अथवा भण्डार वहाँ रखता है अथवा कुछ समय के लिए रखता है।

(3) अपराध–प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 180 की उपधारा (4) से (8) तक के उपबंध–उपधारा 2 के अधीन जाँच पड़ताल के लिए अपेक्षित सीमा तक लागू होगें।

58. वाहन आदि में सामान की जाँच और उसे जब्त करना,

(1) किसी भी समय इस कार्य के लिए सक्षम विपणन समिति के अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा अपेक्षित होने पर, जब कोई वाहन या अन्य कोई गाड़ी अंदर अथवा बाहर जाती है या बाजार क्षेत्र में अन्दर या बाहर जाना चाहती है तो उस वाहन अथवा अन्य गाड़ी आदि का चालक उसे रोकेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जब तक समुचित रूप से आवश्यक हो तथा उस अधिकारी अथवा कर्मचारी को गाड़ी आदि में रखे सामान, गंतव्य स्थान तथा सामान भेजने वाले के पूरे विवरण अथवा व्यापारी या कमीशन ऐजेंट के नाम व पते की पूरी जाँच–पड़ताल करने देगा।

(2) उप धारा (1) के तहत अधिकृत विपणन समिति का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी बाजार क्षेत्र से बाहर ले जाये जा रहे अथवा ले जाये जाने वाले किसी भी अधिसूचित कृषि उत्पाद, वाहन अथवा गाड़ी को अपने कब्जे में ले सकता है, यदि उसे ऐसा महसूस हो कि इस अधिनियम के तहत उस उत्पाद से संबंधित किसी प्रकार का शुल्क अदा नहीं किया गया है। इस प्रकार जब्त किए उत्पाद के मामले को उस अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा जिसे इस अधिनियम के अधीन अपराध पर मुकदमा चलाने का अधिकार है तथा अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 457, 458, तथा 459 कृषि उत्पाद के मामले में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की गई संपत्ति के मामले में लागू होत हैं।

59. अवैध कब्जे हटाना

विपणन समिति अथवा परिषद का कोई अधिकारी या कर्मचारी जो इस बारे में विपणन समिति के सदस्य या परिषद के उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो द्वारा अधिकृत हो, उसे बाजार क्षेत्र में कोई भी अवैध कब्जा हटाने का अधिकार होगा और, इसे हटाने के लिए होने वाला खर्च उस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा जिसने अवैध कब्जा कर रखा हो और इसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

व्याख्या :–

इस धारा के उद्देश्यों के लिए "अवैध' कब्जों" से अभिप्राय ऐसे स्थान पर बिक्री के लिए सामान रखने अथवा प्रदर्शित करने से है जो विपणन समिति द्वारा विपणन के लिए मना किया गया स्थान हो।

60. उप समितियों की नियुक्ति, शक्तियों का प्रत्यायोजन

विपणन समिति एक अथवा अधिक उप समितियाँ गठित कर सकती है जिसमें वह ऐसे सदस्य रख सकती है जैसे वह ठीक समझे तथा ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन जो इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट हों, ऐसी उप समितियों को अपनी वे शक्तियाँ और कार्य प्रत्यायोजित कर सकती है जो वह ठीक समझे;

परन्तु उस समिति, परिषद अथवा उस कार्य के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से किसी ऐसे व्यक्ति को ले सकती है जो विपणन समिति का सदस्य नहीं है।

61. विनिर्दिष्ट उत्पाद के विपणन के लिए संग्रहण केन्द खोलने तथा खरीददार द्वारा प्राप्ति और अदायगी के प्रावधानों के लिए विपणन समिति की शक्तियाँ.

(1) इस उद्देश्य के लिए निदेशक द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत विपणन समिति , जनता की सूचना के लिए सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके और अन्य समुचित तरीके से जैसा वह उचित समझे उस आदेश में उल्लिखित उत्पाद (यहाँ "विनिर्दिष्ट उत्पाद" के रूप में उल्लिखित) के संग्रहण के लिए केन्द खोल सकती है:

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को बाजार क्षेत्र में बेचना चाहता है तो वह उस सारे उत्पाद को उपधारा (1) के तहत इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए संग्रहण केन्द्र पर ही रखेगा;

लेकिन ऐसे विनिर्दिष्ट उत्पाद किसी कमीशन एजेंट या इस संबंध में निर्देशक के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट ऐजेंसी के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं।

(3) विपणन समिति ऐसे उत्पाद की बिक्री होने पर उसकी तौलाई, माप अथवा गिनती, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था करेगी तथा उसकी प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति अथवा कमीशन ऐजेन्ट या अन्य किसी ऐजेन्सी को देगी जिसके द्वारा वह उत्पाद संग्रहण केन्द पर बिक्री के लिए लाया गया हो तथा उसकी प्राप्ति–रसीद की एक प्रति खरीददार को भी देने की व्यवस्था करेगी।

(4) इस रसीद में निम्नलिखित विवरण होंगे, जैसे :–

(1) संग्रहण केन्द्र का नाम;

(2) उत्पाद लाने वाले का नाम;

(3) खरीददार का नाम;

(4) कमीशन ऐजेन्ट अथवा कोई ऐजेन्सी, यदि कोई हो, का नाम;

(5) विनिर्दिष्ट उत्पाद का नाम, वजन, माप अथवा संख्या, जैसी भी स्थिति हो तथा उस उत्पाद की तौलाई, माप अथवा गिनती के लिए दिए गया शुल्क;

(6) उस उत्पाद का ग्रेड और किस्म यदि कोई हो, तथा दर;

(7) खरीददार अथवा कमीशन ऐजेन्ट, द्वारा यदि बिक्री ऐजेन्ट के माध्यम से हुई है विपणन समिति को दी जाने वाली राशि;

(8) उत्पाद लाने वाले द्वारा कमीशन के रूप में ऐजेन्ट को दी जाने वाली राशि, यदि कोई हो, तथा विपणन समिति द्वारा अधिकृत अन्य कोई बाजार प्रभार;

(9) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 1972 (1972 का 35) के तहत उत्पाद लाने वाले द्वारा सहकारी समिति को दी जाने वाली राशि;

(10) उस उत्पाद के लिए उत्पाद लाने वाले द्वारा क्रेता से ली गई अग्रिम राशि, यदि कोई हो;

(11) खंड (7), खंड (8), खंड (9), खंड (10) के अर्न्तगत कटौती करने के बाद, उत्पाद लाने वाले को दी जाने वाली वास्तविक राशि (यदि कोई हो);

(12) खरीददार द्वारा खरीदे गये उत्पाद के लिए कुल देय राशि;

(5) उप धारा (4) के खंड (7) के तहत विपणन समिति को दी जाने वाली राशि में इस अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत खरीददार से लिया जाने वाला शुल्क शामिल होगा।

(6) रसीद प्राप्ति के बाद खरीददार, उसके द्वारा देय राशि यानि उत्पाद की बिक्री–कीमत तथा कमीशन एजेंट अथवा एजेंसी को देय . बाजार–शुल्क का भुगतान करेगा। यह भुगतान वह नकद, चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा करेगा तथा कमीशन ऐजेंट अथवा ऐजेंसी द्वारा इस प्रकार प्राप्त बाजार–शुल्क बिक्री–विवरण के साथ बाजार–समिति में जमा कराया जाएगा। खरीददार,

कमीशन ऐजेंट अथवा ऐजेंसी, जैसी भी स्थिति हो, को कमीशन राशि का भी भुगतान करेगा, यदि उसे बाजार समिति के उप नियमों के अनुसार कमीशन का भुगतान इन्हें करना है। कमीशन ऐजेंट और या ऐजेंसी, जैसी भी स्थिति हो, विक्रेता का, उत्पाद की बिक्री के बाद, बाजार–समिति की उपविधियों में उल्लिखित प्रभारों को काटकर नकद चैक अथवा बैंक–ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगा।

62. बाजार शुल्क लेने तथा इक्ट्ठा करने की शक्ति. प्रत्येक विपणन, समिति, ऐसे शुल्क (इसके बाद "बाजार शुल्क" के रूप में उल्लिखित) जोकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क से कम या ज्यादा नही होगा, बाजार क्षेत्र में बेचे जाने वाले अधिसूचित कृषि उत्पाद के लिए प्रत्येक खरीददार से वसूल करेगी;

लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली वह राशि अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री कीमत के एक सौ रुपया पर एक रुपया से कम नही होगी।

63. कृषि उत्पाद की बिक्री संबंधी संभावना. धारा 62 के उद्देश्यों के लिए बाजार अथवा बाजार क्षेत्र से जाने वाला सभी अधिसूचित कृषि उत्पाद बाजार अथवा बाजार क्षेत्र में बिका हुआ माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत उल्लेख न हो।

64. बाजार शुल्क केवल एक बार लिया जाएगा. उसी बाजार क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के लिए दोबारा बाजार शुल्क वसूल और एकत्रित नही किया जाएगा जिसके लिए इस अधिनियम के तहत शुल्क पहले ही वसूल तथा एकत्रित किया गया है।

65. कमीशन ऐजेन्टों से बाजार शुल्क लिया जाना. जहाँ अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री अथवा खरीद, बाजार में कमीशन ऐजेन्ट के माध्यम से हुई है तो बाजार शुल्क यदि धारा 61 की उपधारा (6) के तहत विपणन समिति को नहीं दिया गया है तो वह उस कमीशन एजेन्ट से निम्न प्रकार से वसूल किया जाएगा :–

(क) इस अधिनियम के तहत देय बाजार शुल्क कमीशन ऐजेन्ट द्वारा उस अंतराल से दिया जाएगा, जिसे विपणन समिति विधियों के द्वारा निर्धारित करे;

(ख) प्रत्येक कमीशन ऐजेन्ट अपने द्वारा प्राप्त किए गए कृषि उत्पाद तथा की गई बिक्री दर्शाने वाला आवधिक विवरण विपणन समिति को उन तारीखों को देगा जो उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(ग) प्रत्येक कमीशन ऐजेन्ट विपणन समिति को उपविधियों में उल्लिखित अंतराल पर इस अधिनियम के तहत खण्ड (ख) में उल्लिखित विवरण के अनुसार देय सारे बाजार–शुल्क का भुगतान करेगा और भुगतान की रसीद इस ब्यौरे के साथ प्रस्तुत करेगा।

व्याख्या :–

इस धारा के उद्देश्यों के लिए :–

(1) कमीशन ऐजेंट की "बिक्री" से अभिप्राय अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री की कुल राशि से है जो विवरण से संबंधित अवधि के दौरान हो, चाहे उसे वह राशि वास्तव में मिली हो या नहीं;

(2) "विवरण" से अभिप्राय उस विवरण से है जो उपविधियों में निर्धारित तरीके से लिया गया हो और जिसके साथ उस विवरण के अनुसार देय बाजार शुल्क के पूरे भुगतान की रसीद संलग्न की गई हो।

66. कमीशन ऐजेन्ट द्वारा देय बाजार शुल्क का निर्धारण तथा उसका भुगतान

(1) यदि विर्निदिष्ट तारीख तक किसी अवधि का विवरण प्रस्तुत नही किया गया या यदि विपणन समिति इस बात से संतुष्ट नही है कि कमीशन ऐजेन्ट द्वारा दिया गया विवरण सही अथवा पूरा है तो समिति द्वारा प्राधिकृत विपणन समिति का कोई अधिकारी (जिसे इसके बाद निर्धारण अधिकारी कहा जाएगा) उपनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्णय द्वारा उस कमीशन ऐजेन्ट द्वारा देय बाजार शुल्क का निर्धारण करेगा;

परन्तु ऐसे निर्धारण को अन्तिम रूप देने से पूर्व संबंधित कमीशन ऐजेन्ट को इसके लिए कारण बताने का एक समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा कि उनके बाजार शुल्क का अन्तिम निर्धारण क्यों न कर दिया जाए।

(2) उपधारा (1) के तहत निर्धारित की गई बाजार शुल्क की राशि का भुगतान, पहले दी गई राशि, यदि कोई हो, को घटाकर निर्धारण आदेश प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर कमीशन ऐजेन्ट द्वारा किया जाएगा।

(3) यदि कोई कमीशन ऐजेन्ट उपधारा (2) के अनुसार अपेक्षित बाजार शुल्क की राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसे देय बाजार–शुल्क के अलावा धारा 65 के खण्ड (ख) के तहत विवरण प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से देय राशि पर 2% की दर से सामान्य ब्याज उपधारा (1) के तहत निर्धारण तारीख तक तथा उसके बाद वसूली होने तक प्रत्येक माह 3% की दर से देना होगा।

67. बाजार–शुल्क निर्धारण के विरूद्ध कमीशन ऐजेन्ट द्वारा अपील

(1) कोई कमीशन ऐजेन्ट जो धारा 66 के तहत निर्धारण अधिकारी के आदेश से संतुष्ट न हो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर निर्धारित तरीके से निदेशक को अपील कर सकता है।

(2) निदेशक उपधारा (1) में उल्लिखित अपील पर निम्न प्रकार से आदेश पारित कर सकते हैं :–

(क) उस निर्धारण पर सहमति दे सकते हैं अथवा उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, या

(ख) उस निर्धारण को निरस्त कर निर्धारण अधिकारी को जाँच के बाद पुनः निर्धारण करने का निर्देश दे सकते हैं;

परन्तु निर्धारण में बढ़ोत्तरी से संबंधी कोई आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को इसके विरूद्ध प्रतिवेदन करने का समुचित अवसर न प्रदान कर दिया जाए।

68. अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम है.

धारा 67 की उपधारा (2) के तहत अपील प्राधिकारी द्वारा किया गया आदेश अन्तिम होगा तथा कमीशन ऐजेन्ट और विपणन समिति पर बाध्य होगा।

69. फर्म आदि द्वारा बाजार शुल्क की देयता

(1) इसके विपरित किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई फर्म इस अधिनियम के तहत बाजार शुल्क की देनदार है तो वह फर्म तथा उसका प्रत्येक हिस्सेदार संयुक्त रूप से उसके भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा;

लेकिन यदि कोई हिस्सेदार फर्म से अलग हो जाता है तो उसे इस बारे में लिखित सूचना विपणन समिति को देनी होगी और उसे अलग होने की तारीख तक के शेष बचे बाजार शुल्क की अदायगी करनी होगी तथा साथ ही उस शुल्क का भुगतान भी करना होगा जो उसके अलग होने की तारीख तक देय है, भले ही उसका निर्धारण न किया गया हो;

परन्तु यदि अलग होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर इसकी सूचना नही दी जाती है तो हिस्सेदार की देनदारी विपणम समिति को सूचना प्राप्त होने की तारीख तक हिस्सेदार की बनी रहेगी।

व्याख्या :–

इस धारा के उद्देश्यों के लिए "फर्म" में कम्पनी या निगम अथवा सार्वजनिक निकाय शामिल है।

(2) यदि कोई व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट फर्म अथवा व्यक्तियों का समूह या अविभाजित हिन्दू परिवार है तथा ऐसी फर्म समूह अथवा परिवार ने व्यापार छोड़ दिया है तो :–

(क) ऐसी फर्म, समूह या परिवार द्वारा व्यापार छोड़ने की तारीख तक इस अधिनियम के तहत देय बाजार शुल्क इस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा मानों व्यापार छोड़ा ही न गया हो; तथा

(ख) कोई व्यक्ति जो व्यापार बन्द होने के समय किसी फर्म का हिस्सेदार या समूह का सदस्य अथवा परिवार हो, व्यापार बन्द हो जाने पर भी निर्धारित किए गए बाजार शुल्क का देनदार होगा, भले ही बाजार शुल्क का निर्धारण कारोबार बन्द होने से पहले अथवा बाद में किया गया हो और इस बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यह समझा जाएगा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति या हिस्सेदार अथवा कमीशन ऐजेन्ट था;

उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार यदि कोई व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट फर्म या व्यक्तियों का समूह समाप्त हो जाता है या जहाँ व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट जो कि अविभाजित हिन्दू परिवार है, व्यापार की दृष्टि से विभाजित हो जाता है तो वह उपधारा में "कारोबार बन्द" को "भंग" अथवा "विभाजित", जैसी भी स्थिति हो के संदर्भ में लिया जाएगा।

70. व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बाजार शुल्क की देयता,

व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट की मृत्यु हो जाने पर –

(क) व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट की मृत्यु हो जाने पर भी यदि इसके वैद्य प्रतिनिधि अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार चलाया जाता है तो वह प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति इस अधिनियम के तहत उस व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट द्वारा देय बाजार शुल्क का भुगतान करने का देनदार होगा भले ही उस शुल्क का निर्धारण उसकी मृत्यु के पहले अथवा बाद में किया गया हो और दिया न गया हो और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे प्रतिनिधि अथवा अन्य व्यक्ति पर इस प्रकार से लागू होंगे जैसे वह स्वयं व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट हो;

(ख) यदि व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट द्वारा किया जा रहा व्यापार उसकी मृत्यु के बाद बन्द हो जाता है तो उसका वैद्य प्रतिनिधि उसकी संपत्ति से जहाँ तक हो सकेगा मृतक से वसूली योग्य बाजार शुल्क का भुगतान करने का जिम्मेवार होगा, भले ही उस शुल्क का निर्धारण उसकी मृत्यु से पहले अथवा बाद में किया गया हो लेकिन जिसका भुगतान न किया गया हो।

व्याख्या :–

इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए "वैद्य' प्रतिनिधि" से अभिप्राय नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खण्ड (2) में दिए गए अर्थ से है।

71. फर्म आदि के गठन में परिवर्तन की सूचना,

प्रत्येक व्यापारी या कमीशन ऐजेन्ट को गठन में परिवर्तन, कारोबार बन्द होने, भंग होने, फर्म, कम्पनी, निगम, व्यक्तियों के समूह आदि में विभाजन अथवा उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना ऐसी घटना घटित होने के 15 दिन के अन्दर विपणन समिति को देनी होगी।

72. ऋण प्राप्त करने तथा देने की शक्ति,

(1) विपणन समिति बाजार स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि, भवन अथवा उपस्कर के खर्चों के लिए सरकार से निर्धारित शर्तों पर ऋण प्राप्त कर सकेगी;

(2) कोई विपणन समिति परिषद के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दूसरी विपणन समितियों से ऋण ले सकेगी;

(3) इस अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए परिषद द्वारा निर्देश दिए जाने पर कोई विपणन समिति दूसरी विपणन समिति को ऋण दे सकेगी;

73. करार करना

(1) विपणन समिति द्वारा किया प्रत्येक करार लिखित में होगा तथा इसकी ओर से सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें।;

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित करार के अलावा अन्य कोई करार विपणन समिति पर बाध्य नही होगा;

परन्तु विपणन समिति द्वारा कोई करार इस अधिनियम के तहत प्राप्त प्राधिकार–क्षेत्र से बाहर नही किया जाएगा तथा वह निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन होगा।

74. माप तोल संबंधित नियमों के निर्माण से संबंधित कुछ विवादों का निर्णय माप–तोल नियंत्रक द्वारा किया जाना.

(1) यदि किसी व्यक्ति तथा माप–तोल (परावर्तन) अधिनियम 1985 (1985 का 54) के तहत नियुक्त निरीक्षक के बीच इस अधिनियम के तहत बनाए जाने वाले नियम अथवा जांच प्रणाली, पुनः जांच अथवा तोल या. माप–तोल मशीन पर मोहर लगाने के संबंध में किसी बाजार क्षेत्र में कोई विवाद होता है तो वह उस व्यक्ति अथवा निरीक्षक के अनुरोध पर इस अधिनियम के तहत नियुक्त नियंत्रक के पास भेजा जाएगा तथा नियंत्रक का निर्णय उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा;

(2) उपधारा (1) के तहत दिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील निर्धारित समय और तरीके से उपराज्यपाल या उनके द्वारा, इस कार्य के लिए आदेशानुसार नियुक्त किसी अधिकारी को की जा सकेगी और उपराज्यपाल तथा उस अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय 8

परिषद तथा विपणन समितियों के अधिकारी तथा कर्मचारी

75. विपणन सेवा का गठन.

(1) सभी विपणन समितियों तथा परिषद के कार्यो के सुचारू निष्पादन के लिए सभी स्तर के अधिकारी तथा स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए "दिल्ली कृषि विपणन सेवा" (इसके बाद विपणन सेवा के रूप में उल्लिखित) के नाम से कार्यभार शाखानुसार एक सेवा होगी।

(2) "दिल्ली कृषि विपणन सेवा" के गठन से पूर्व परिषद अथवा विपणन समिति में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कमचारी उसी अवधि तक तथा उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं सेवा शर्तों पर अपने पद पर बने रहेगें जिन पर वह इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले थे, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहॉं अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तां में उन्हें सरकार की पूर्व अनुमति से परिषद द्वारा परिवर्तित कर दिया गया हो।

परन्तु किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवा–शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नही किया जाएगा।

76. सेवा शर्तों के लिए विनिमय बनाने के लिए परिषद की शक्ति.

(1) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक के लिए परिषद विनियम बना सकती है अर्थात्:–

(क) दिल्ली कृषि विपणन सेवा में नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अनुपस्थिति अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता तथा उन पर नियुक्ति के लिए चयन–प्रक्रिया;

(ग) दंड देने तथा निलंबन के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया तथा उसके लिए अपील–प्राधिकारी;

(घ) अन्य कोई मामला जो परिषद अथवा विपणन समिति में इस सेवा के तहत नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवाओं के विनियमन के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक मामला हो तथा अन्य कोई मामला जिसके लिए परिषद की राय में विनियम द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के तहत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी विनियमन नहीं बनाया जाएगा।

77. स्थानांतरण का उत्तरदायित्व.

विपणन सेवा का कोई भी सदस्य परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा परिषद कार्यालय या विपणन समितियों अथवा एक समिति से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकेगा जैसा विनियमों में निर्धारित हो।

78. विपणन समिति के सचिव के कार्य,

(1) प्रत्येक बाजार–समिति (राष्ट्रीय महत्व की बाजार–समिति को छोड़कर) का एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा, सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई संघ राज्य क्षेत्र की सिविल–सेवा के, कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके, अधिकारियों की सूची में से की जाएगी। ऐसी नियुक्तियाँ कुल उपलब्ध रिक्तियों की पचास प्रतिशत तक होगी तथा पचास प्रतिशत रिक्तियाँ "फीडर कैडर", यानि विपणन सेवा के उन अधिकारियों में से भरी जाएगी जो संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवा निदेशालय द्वारा निदेशक के साथ परामर्श से आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होगें। विपणन सेवा में उप सचिव स्तर के सभी पद जोकि वर्तमान में रु० 6500–10,500 के वेतनमान में है, तथा इससे अधिक वेतनमान वाले उपरोक्त विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएगे।

(2) सचिव समिति का कार्यकारी अधिकारी होगा तथा समिति का सारा रिकार्ड तथा संपत्तियों का रखरखाव रखेगा तथा इस अधिनियम और इसके तहत बनाये नियमों या उपविधियों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के अलावा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों का निष्पादन करेगें :–

(1) विपणन समिति अथवा इसकी उपसमितियों, यदि कोई हो, की बैठक आयोजित करेगें तथा उसका कार्यवृत्त तैयार करेंगे;

(2) विपणन समिति अथवा इसकी उपसमितियों, की बैठकों में भाग लेगें तथा विचार–विमर्श में हिस्सा लेगें लेकिन ऐसी बैठकों में कोई संकल्प नहीं लाएगें, वोट नहीं डालेंगे;

(3) समिति अथवा इसकी उप समितियों के संकल्पों का कार्यान्वयन करने के लिए कार्यवाही करेगें तथा इस संबंध में हुई प्रगति रिपोर्ट समिति अथवा उप समिति, जैसी भी स्थिति हो, को यथाशीघ्र करेंगे;

(4) प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए विपणन समिति की आकलित आय व व्यय का ब्यौरा तैयार करेंगे;

(5) सरकार, निदेशक, विपणन समिति तथा परिषद को ये विवरण, आकलन, आँकड़े तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें जो उनके द्वारा समय पर अपेक्षित हो या मांगी गई हो जिनमें निम्नलिखित के बारे में रिपोर्ट भी शामिल है :–

(क) स्टाफ के किसी सदस्य अथवा बाजार में काम करने वाले अन्य किसी व्यक्ति से दंड अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में लिए जाने वाले जुर्माने के संबंध में;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा उपनियमों अथवा स्थाई आदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में;

(ग) लाइसेंसों के निलंबन अथवा रद्द करने के संबंध में;

(घ) विपणन समिति के प्रशासन तथा विपणन के विनियमन के संबध में;

(6) समिति अथवा उपसमिति के सुचारू संचालन की दृष्टि से समिति अथवा उप समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष अपेक्षित दस्तावेज, बही, रजिस्टर आदि प्रस्तुत करना तथा विपणन समिति द्वारा इन्हें मांगे जाने पर उपलब्ध कराना।

(7) समिति के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण तथा पर्यवक्षेण रखना।

(8) विपणन समिति द्वारा वसूला जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशि का संग्रह करना।

(9) विपणन समिति के लिए जमा तथा प्राप्त राशियों के लिए जिम्मेदार होना।

(10) नियमानुसार विपणन समिति द्वारा देय धनराशि का संवितरण करना।

(11) विपणन समिति की निधि अथवा संपत्ति के बारे में हुए किसी धोखे, गबन, चोरी अथवा नुकसान की जानकारी सरकार, निदेशक परिषद तथा अध्यक्ष को यथाशीघ्र देना।

(12) विपणन समिति की ओर से दायर किए जाने वाले मुकदमों की शिकायतें तैयार करना तथा विपणन समिति की शिकायतें तैयार करना तथा विपणन समिति की ओर से दीवानी अथवा अपराधीकरण मुकदमें चलाना।

अध्याय 9

कृषि उत्पाद का विपणन

79. कृषि उत्पाद विपणन का विनियमन ,

(1) इस धारा के उपबंधों तथा बाजार क्षेत्र में किसी स्थान पर कृषि उत्पाद विपणन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन, कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के तहत घोषित क्षेत्र की घोषणा की तारीख अथवा उसके बाद से लाइसेंस में दी गई नियम व शर्तों के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा। लाइसेंस निम्नलिखित द्वारा जारी किया जाएगा :–

(क) निदेशक, जहाँ विपणन समिति कार्य नहीं कर रही है;

(ख) अन्य मामलों में विपणन समिति द्वारा :–

(1) कोई व्यक्ति उक्त घोषणा में उल्लिखित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए बाजार क्षेत्र में किसी स्थान का प्रयोग; या

(2) बाजार क्षेत्र में अथवा किसी बाजार में व्यापारी, कमीशन ऐजेन्ट, दलाल, संस्करणकर्ता, तौलने वाले, मापने वाले, सर्वेक्षण करने वाले, भण्डारणकर्ता अथवा ऐसे कृषि उत्पाद विपणन के संबंध में किसी अन्य रूप में कार्य करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रावधान किसान द्वारा अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री के लिए लागू नहीं होंगे।

(3) बाजार क्षेत्र में विपणन के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उत्पाद की सभी वस्तुएँ ऐसे उत्पाद के लिए निर्धारित बाजार में लाई जाएंगी और उपनियमों के उपबन्धों के अधीन उस बाजार क्षेत्र से बाहर नहीं बेची जाएंगी। सभी बिक्रियाँ अधिसूचित मुख्य तथा गौण यार्डों में खुली नीलामी द्वारा होंगी।

80. लाइसेंस जारी करना

(1) इस बारे में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए विपणन समिति, ऐसी जाँच–पड़ताल जैसी वह उचित समझे, करने के बाद कृषि उत्पाद के विपणन के लिए बाजार क्षेत्र में किसी स्थान के लिए लाइसेन्स जारी अथवा उसका नवीनीकरण कर सकती है, जिसके तहत वह व्यापारी, कमीशन ऐजेन्ट, दलाल, संस्करणकर्ता, तोलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, भंडारणकर्ता, या कृषि उत्पाद विपणन के संबंध में किसी अन्य रूप में कार्य कर सकता है। समिति लिखित कारण बताते हुए लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना कर सकती है।

परन्तु जहाँ विपणन समिति ने अपना कार्य आरंभ नही किया है तो इस संबध में बनाए जाने वाले नियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक कृषि उत्पाद विपणन के लिए लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। जिसके तहत वह बाजार क्षेत्र में व्यापारी, कमीशन, ऐजेन्ट, दलाल, संस्करणकर्ता, तोलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, भंण्डारणकर्ता, अथवा अन्य किसी रूप में कार्य कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत दिया गया लाइसेंस :–

(क) निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधनों सीमाओं के अधीन होगा तथा उल्लिखित किए गए रूप में अवधि विशेष के लिए मान्य होगा;

(ख) जिसमें निम्नलिखित का भी उल्लेख होगा :–

(1) कृषि उत्पाद की नीलामी प्रक्रिया तथा उसका स्थान जहाँ पर प्रत्येक नीलामी के लिए बोली स्वीकार होगी।

(2) बाजार अथवा बाजार क्षेत्र में वे स्थान जहाँ तौलाई होगी तथा उत्पाद दिया जाएगा जिसके लिए यथा निर्धारित शुल्क दिया जाएगा।

(3) यदि विपणन समिति अथवा निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, आवेदन प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण नहीं कर पाते है तो यह समझा जाएगा कि लाइसेंस जारी

अथवा उसका नवीनीकरण जैसी भी स्थिति हो कर दिया गया है। यदि विपणन समिति अथवा निदेशक जैसी भी स्थिति हो द्वारा 60 दिन की उक्त अवधि में लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना करने की सूचना नहीं दी गई है।

81. लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित करने की शक्ति

(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विपणन समिति लिखित कारणों द्वारा इस अध्याय के तहत जारी अथवा नवीकृत किए गए लाइसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है, यदि :—

(क) लाइसेंस जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर अथवा धोखे से प्राप्त किया गया है;

(ख) लाइसेंसधारी अथवा उसका नौकर या उसकी ओर से उसकी अनुमति से काम करनेवाला अन्य कोई व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है या लाइसेंस धारक तथा उसके अधीन नियमित अधिनियम/नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करता है;

(ग) लाइसेंसधारी यदि दूसरे लाइसेंसधारियों के साथ मिलकर बाजार या यार्ड अथवा क्षेत्र में सामान्य कारोबार नहीं करता है अथवा बाजार –क्षेत्र में जानबूझकर कृषि उत्पाद के विपणन में बाधा उत्पन्न करने की इच्छा से कोई कार्य करता है;

(घ) लाइसेंसधारी दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और यदि उसने निवृति प्राप्त नहीं की है अथवा

(ङ) लाइसेंसधारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी लेकिन उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निदेशक इस अध्याय के तहत जारी अथवा नवीकृत लाइसेंस को लिखित कारण द्वारा निलंबित अथवा रद्द कर सकते हैं।

(3) इस धारा के तहत कोई भी लाइसेंस तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारी को इस प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान न किया जाए।

82. अपील

(1) कोई व्यक्ति :—

(क) लाइसेंस जारी करने अथवा उसका नवीनीकरण करने से मना करने अथवा किसी लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित करने के विपणन समिति के आदेश के विरूद्ध परिषद के उपाध्यक्ष को 30 दिन के अन्दर अपील कर सकता है।

(ख) लाइसेंस जारी अथवा उसका नवीनीकरण करने के लिए मना करने अथवा कोई लाइसेंस रद्द अथवा निलंबित करने के निदेशक के आदेश के विरूद्ध दिल्ली के सचिव (विकास) को वह, यह आदेश जारी होने के 30 दिन के अन्दर विहित तरीके से अपील कर सकता है।

(2) परिषद के उपाध्यक्ष अथवा कृषि विभाग के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, उस अपील पर ऐसे आदेश दे सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

परन्तु किसी अपील को रद्द करने से पूर्व परिषद के उपाध्यक्ष अथवा सरकार के विकास विभाग के सचिव, जैसी भी स्थिति हो, अपीलकर्ता को सुनने का अवसर प्रदान करेंगे और अपील रद्द करने का कारण लिखित में अभिलेखबद्ध करेंगे।

83. विवादों के निपटारें का प्रावधान,

(1) कृषि उत्पाद के खरीददार तथा विक्रेताओं अथवा उनके ऐजेंटों के बीच के विवादों जिनमें गुणवत्ता अथवा तौल या अदायगी या बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद के विपणन–विनियमन से संबंधित विवाद भी शामिल है, के निपटारों के लिए उस बाजार क्षेत्र के लिए गठित विपणन समिति, मध्यस्थों को नियुक्त कर सकती है अथवा अपने सदस्यों में से एक उपसमिति नियुक्त कर सकती है।

(2) मध्यस्थों की नियुक्ति का तरीका, उपसमिति का गठन तथा कार्य और विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क, यदि कोई हो अथवा अन्य मामले निर्धारित ढंग से तय किए जाएंगे।

(3) कोई पार्टी, मध्यस्थ अथवा उपसमिति, जैसी भी स्थिति हो, के निर्णय से असंतुष्ट होने पर निर्धारित किए जाने वाले तरीके तथा समय के अनुसार उस निर्णय के विरूद्ध परिषद में अपील कर सकती है।

अध्याय 10

विपणन विकास निधि और बाजार निधि तथा उसकी लेखा परीक्षा

84. विपणन विकास निधि का गठन

(1) परिषद द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक निधि में जमा की जाएगी जिसे विपणन विकास निधि कहा जाएगा।

(2) विपणन विकास निधि से सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई खर्च नहीं किया जाएगा। विपणन विकास निधि को नियमों में उल्लिखित विधि के अनुसार संचालित किया जाएगा।

व्याख्या :—

इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय परिषद, या उपाध्यक्ष, अथवा परिषद का कोई अन्य अधिकारी से होगा जिसे परिषद द्वारा खर्च करने की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हो, जैसी भी स्थिति हो।

(3) विपणन विकास निधि में जमा धनराशि निर्धारित किए जाने वाले ढंग से रखी अथवा निवेश की जाएगी।

85. विपणन विकास निधि का प्रयोग

(1) विपणन विकास निधि का प्रयोग परिषद द्वारा इस अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) की सामान्यता पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले विपणन विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा :—

(1) कृषि उत्पाद का बेहतर विपणन;

(2) कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित अन्य सूचना के अलावा बाजार–दरों का संग्रहण तथा प्रचार–प्रसार;

(3) कृषि उत्पाद का वर्गीकरण तथा मानकीकरण;

(4) बाजारों और उनके क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य;

(5) कार्यालय–भवन, अतिथि–गृह, कर्मचारी–आवास, प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण तथा उनका रख–रखाव।

(6) वित्तीय दृष्टि से कमजोर विपणन समितियों के विकास के लिए भूमि–अधिग्रहण कर बाजार विकसित करना।

(7) वित्तीय रूप में कमजोर विपणन समितियों को अनुदान अथवा सहायता या दोनों के रूप में मदद करना।

(8) ड्यूटी के दौरान चोट लगने अथवा दुर्घटना आदि के कारण मृत्यु हो जाने पर वेतन–भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन, क्षतिपूर्ति भत्ते आदि का भुगतान करना।

(9) सेवा विनियमों में उल्लेखानुसार स्टाफ को सेवा निवृत होने पर अवकाश–नकदीकरण तथा वार्षिक चिकित्सा–सहायता तथा अन्य अदायगियां करना।

(10) सेवा विनियमों में उल्लेखानुसार प्रतिनियुक्ति के कर्मचारियों के भविष्य–निधि, अवकाश वेतन तथा पेंशन अनुदान करना, तथा अन्य देय राशि का सरकार को भुगतान करना तथा प्राधिकृत अस्पतालों में भर्ती होने पर वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।

(11) परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों को यात्रा तथा अन्य भत्तों का भुगतान।

(12) परिषद द्वारा किये गये विधि संबंधी खर्चों को पूरा करना।

(13) विपणन समिति/ समितियों द्वारा अपेक्षित होने पर भंडारों का निर्माण करना।

(14) परिषद के लेखों की लेखा–परीक्षा के लिए होने वाले खर्च।

(15) विपणन–विकास पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना जिसमें इनमें भाग लेना भी शामिल है;

86. रखे जाने वाले लेखें — परिषद तथा प्रत्येक विपणन समिति के आय तथा व्यय के खाते विनियम द्वारा निर्धारित तरीके से रखे जाएगें।

87. लेखों की लेखा परीक्षा — (1) परिषद तथा विपणन समिति के लेखों की लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा की जाएगी।

व्याख्या :–

उपधारा (1) के तहत किसी वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित भी शामिल है:–

(क) रोकड़ शेष तथा अन्य प्रतिभूतियों की जांच और सत्यापन।

(ख) संपत्ति और देयताओं का मूल्यांकन।

(ग) बजट आकलनों तथा वास्तविक खर्च के बीच हुए परिवर्तन के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच तथा सत्यापन।

(घ) कार्य लेखों की लेखा परीक्षा

(ङ) भंडारों का वास्तविक सत्यापन।

(2) परिषद अथवा विपणन समिति के लेखों की लेखा परीक्षा कराने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की लेखा–पुस्तकों तथा दस्तावेजों, वाउचर, भंडार तथा संपत्ति व अन्य रिकॉर्ड देखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। और वह परिषद अथवा विपणन समिति, जैसी भी स्थिति हो, विपणन समिति के खाता तथा रोकड़ शेष तथा संपत्ति की वास्तविक जांच करेगा।

(3) परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा विपणन समिति का अन्य कोई अधिकारी, जैसा भी स्थिति हो, परिषद अथवा विपणन समिति से संबंधित सभी प्रकार के लेखे तथा कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकार की अपेक्षित सूचना उस व्यक्ति को उपलब्ध करायेगें।

(4) लेखा परीक्षाशुल्क, निदेशक द्वारा निर्धारित किए गये लिखित तरीके अनुसार परिषद अथवा विपणन समिति द्वारा जैसी भी स्थिति हो, अदा की जाएगी।

88. बाजार निधि का गठन, उसका रखरखाव तथा निवेश — (1) इस अधिनियम के तहत विपणन समिति द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सभी शुल्क तथा अन्य धनराशियाँ, जुर्माने के तौर पर वसूली गई राशियाँ (फौजदारी के मामले में किए गए जुर्माने को छोड़कर) समिति के सभी ऋण, तथा सभी अनुदान, उपराज्यपाल द्वारा समिति को दिए गए ऋण तथा अंशदान एक निधि के हिस्से होगें जिसे "बाजार–निधि" कहा जाएगा।

(2) विपणन समिति द्वारा मध्यस्थता–शुल्क, अथवा विवाद संबंधी मध्यस्थता में लागत–प्रतिभूति के रूप में प्राप्त राशि या प्रतिभूति जमा के तौर पर समिति द्वारा प्राप्त राशि, भविष्य निधि में अंशदान अथवा अधिसूचित कृषि उत्पाद के लिए अदायगी अथवा तोलकर्ता, पल्लेदार तथा अन्य व्यक्तियों को देय प्रभार तथा नियमों अथवा उपनियमों में उल्लेखानुसार विपणन समिति को प्राप्त अन्य ऐसी धनराशियाँ बाजार निधि का हिस्सा नही होगी और ऐसी राशि को निर्धारित विधि के अनुसार रखा जाएगा।

89. बाजार निधि का प्रयोग — (1) धारा 88 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बाजार निधि का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकेगा :–

(1) बाजार–यार्डों के लिए भूमि का अधिग्रहण;

(2) बाजार–यार्डों की स्थापना, उनका अनुरक्षण तथा विकास/सुधार;

(3) बाजार यार्डों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के उद्देश्यों से आवश्यक भवनों का निर्माण तथा मरम्मत;

(4) माप–तौल मानकों का अनुरक्षण;

(5) विनियमों/नियमों में उल्लेखानुसार स्थापना प्रभारों, जिनमें भविष्य निधि का अंशदान, पैंशन, ग्रेच्युटी, सेवा– निवृत्ति पर अवकाश, नकदीकरण तथा वार्षिक आधार पर चिकित्सा सहायता अथवा प्राधिकृत अस्पतालों में दाखिल होने की स्थिति में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति भी शामिल हैं, का भुगतान;

(6) विपणन समिति के कर्मचारियों को ऋण तथ अग्रिम;

(7) ऋणों पर ब्याज का भुगतान;

(8) फसल संबंधी आंकडों तथा कृषि उत्पाद–विपणन से संबंधित सूचना एकत्रित करना तथा उसका प्रचार–प्रसार करना;

(9) विपणन समिति के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए होने वाले खर्च;

(10) अध्यक्ष को मानदेय तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा बाजार–समिति के अन्य सदस्यों को यात्रा भत्ते तथा सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए देय मानदेय का भुगतान;

(11) निर्धारित नियमानुसार परिषद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि में अंशदान जोकि इस धारा की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) के खंड (ब) में उल्लिखित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए अपेक्षित हो;

(12) कृषि विपणन के विकास के लिए किसी योजना में अंशदान करना;

(13) बाजार क्षेत्र में किसानों को वर्गीकरण तथा टेलीफोन आदि की सुविधायें उपलब्ध कराना;

(14) बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद का विकास करना।

(15) इस अधिनियम के तहत होने वाले चुनाव के खर्च का भुगतान;

(16) कृषि उत्पाद–विपणन के प्रशिक्षण तथा खोज आदि पर होने वाले सभी खर्चे करना;

(17) अन्य एजेंसियों, राज्य, संघ शासित क्षेत्र आदि के साथ मिलकर कृषि उत्पाद की बिक्री में आने वाली गिरावट को रोकना;

(18) सहकारी विपणन को बढ़ावा देना तथा उत्पाद, विशेषकर छोटे किसानों के उत्पाद को लाभकारी ढंग से प्राप्त करने तथा बेचने में सहकारी विपणन सोसायटियों की सहायता करना।

(19) कार्यालय–भवन, किसानों तथा आगंतुकों के लिए अतिथि–गृह तथा कर्मचारियों के आवास–निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करना तथा उनका रख–रखाव करना, कार्यालय–प्रयोग; अतिथि गृह तथा कृषि विपणन के अन्य किसी उद्देश्य के लिए भवन किराए पर लेना;

(20) इस अधिनियम के तहत कृषि उत्पाद के विपणन से संबंधित अन्य कोई खर्च, जहां विपणन समिति का वह खर्च जन–हित में हो परन्तु इसके लिए परिषद का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(21) परिषद की केन्द्रीय पैंशन निधि में निर्धारित अंशदान करना।

(2) उपधारा (1) पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रत्येक विपणन समिति बाजार निधि से:

(क) लाइसेंस शुल्क, बाजार–शुल्क तथा धारा 3 की उपधारा (4) के तहत प्राप्त जुर्माना राशि से प्राप्त अपनी आय का एक निर्धारित प्रतिशत अंशदान परिषद को करेगी ताकि परिषद अपने कार्यालय–स्थापना संबंधी तथा विपणन समिति के हित में किए गए अन्य खर्चे वहन कर सके। यह अंशदान सामान्यतः निम्न प्रकार से होगा–

(1) यदि किसी विपणन समिति की वार्षिक आय 10,000/- रु० से अधिक नहीं है— 10%

(2) यदि किसी विपणन समिति की वार्षिक आय 10,000/- रु० से अधिक लेकिन 15,000/- रु० से कम है तो पहले 10,000/- रु० पर : ———10 प्रतिशत; अगले 5,000/- रु० अथवा उसके हिस्से पर : —— 15 प्रतिशत।

(३) यदि किसी विपणन समिति की वार्षिक आय 15,000/- रु० से अधिक है तो पहले

10,000/- रु० पर ——— 10 प्रतिशत।

अगले 5,000/- रु० पर —— 15 प्रतिशत।

शेष आय पर ————20 प्रतिशत।

(ख) बाजार क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विपणन समिति के परामर्श से सरकार द्वारा लगाए गए विशेष अथव अतिरिक्त स्टाफ की लागत का भुगतान करना।

(3) उपधारा 2 के खंड (ख) में उल्लिखित विशेष अथवा अतिरिक्त स्टाफ की लागत का निर्धारण सरकार करेगी तथा जहां एक से अधिक विपणन समिति के उद्देश्यों के लिए स्टाफ लगाया गया है वहां यह लागत खर्च उस अनुपात में, संबंधित समितियों में बांट दिया जाएगा जिसे वह उचित समझे तथा किसी विपणन समिति द्वारा दी जाने वाली राशि के निर्धारण संबंधी सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

90. बाजार निधि बैंक में रखी जाए। बाजार निधि में जमा होने वाली सभी राशियां तथा विपणन समिति द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियां निदेशक के विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा अनुमोदित बैंक अथवा बैंकों में रखी जाएगी।

अध्याय– 11
बजट तथा लेखे

91. विपणन समिति का बजट तथा लेखे। (1) प्रत्येक विपणन समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय तथा व्यय का बजट निर्धारित तरीके से तैयार तथा पास करेगी तथा इसे संस्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख से पहले परिषद को प्रस्तुत करेगी। परिषद उस बजट को आशोधन अथवा बिना आशोधन के साथ इसे प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर संस्वीकृत करेगी। यदि परिषद द्वारा बजट तीन महीने की अवधि में नहीं लौटाया जाता है तो यह माना जाएगा कि वह संस्वीकृत हो गया।

(2) ऐसी किसी मद पर खर्च नहीं किया जाएगा जिसके लिए संस्वीकृत बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। यह केवल तभी किया जा सकेगा जब अन्य किसी शीर्ष में की गई बचतों में से यह राशि ली जानी संभव हो तथा इसे परिषद के उपाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो।

92. संशोधित अथवा अनुपूरक बजट। कोई विपणन समिति उस वर्ष के दौरान जिसके लिए बजट स्वीकृत किया गया है, संशोधित अथवा अनुपूरक बजट को उसी प्रकार तैयार, पास अथवा संस्वीकृत कर सकती है जैसे मानो यह वास्तविक बजट हो।

93. कार्यों को करने की शक्ति। (1) विपणन समिति, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा कार्यों अथवा उसकी उपविधियों संबंधी विनियमों में यथानिर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए आदेश जारी करेगी।

(2) परिषद उपधारा (1) में उल्लिखित स्वीकृति प्रदान करते समय किसी रखरखाव अथवा विकास संबंधी कार्य के लिए अपने विवेक– अनुसार यह निर्देश दे सकती है कि वह कार्य सरकारी विभाग अथवा परिषद अथवा विपणन समिति अथवा परिषद द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी निकाय को सौंप दिए जाएं।

94. लेखे रखना। प्रत्येक विपणन समिति अपनी आय तथा व्यय के सही–सही लेखे निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार रखेगी।

95. तुलनपत्र तथा प्रशासनिक रिपोर्ट,

(1) प्रत्येक वर्ष के अन्त में विपणन समिति अपनी आय तथा व्यय के लेखे अन्तिम रूप में तैयार करेगी तथा अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलनपत्र और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट निर्धारित विधि से तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे, तुलनपत्र तथा प्रशासनिक रिपोर्ट की प्रतियां निर्धारित समय तक परिषद तथा निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी।

अध्याय 12
नियंत्रण

96. निदेशक की शक्तियाँ,

निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी:

(क) किसी विपणन समिति के लेखे तथा कार्यालयों की जांच कर सकेंगे;

(ख) विपणन समिति के कार्यकलापों की जांच कर सकेगें;

(ग) विपणन समिति के किसी ब्यौरे, विवरण, लेखे अथवा रिपोर्ट, जो वह उचित समझे मंगवा सकेंगे;

(घ) विपणन समिति को निम्नलिखित पर विचार करने के लिए कह सकते हैं :

(1) किसी समिति द्वारा अथवा उसकी ओर से हुए अथवा होने वाले किसी अनुचित कार्य की आपत्ति के बारे में;

(2) ऐसी कोई सूचना जो वह दे सकते हैं तथा जो समिति द्वारा कोई कार्य करने के लिए आवश्यक प्रतीत होती है;

(ङ) होने वाले किसी कार्य अथवा हो रहे कार्य के न करने के निर्देश दे सकते हैं जिसके बारे में समिति द्वारा दिए गए जबाब पर बाद में विचार किया जाएगा;

(च) किसी ऐसे कार्य के लिए निर्देश दे सकते हैं जो उनकी राय में होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा, वह उनकी इस निर्देशित अवधि में हो जाना चाहिए;

97. निदेशक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को सूचना प्रस्तुत करना विपणन समितियों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सदस्यों का कर्तव्य,

(1) जब किसी विपणन समिति के लेखे तथा कार्यालयों का निरीक्षण हो रहा हो अथवा धारा 96 के तहत उस समिति के कार्यकलापो की जांच हो रही हो तथा धारा 99 के अंतर्गत उस समिति की जांच की जा रही हो तो उस समिति के सभी अधिकारी तथा कर्मचारी लेखे तथा कार्यालय के कार्यकलापों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जो उनके पास हों, अपेक्षित होने पर निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध करायेगें।

(2) निदेशक अथवा अन्य अधिकारी को लेखो तथा कार्यालयों का निरीक्षण करते समय अथवा धारा 96 के तहत विपणन समिति के कार्यकलापों की जांच करते समय अथवा धारा 99 के अंतर्गत उस समिति की कार्यवाही की जांच करते समय उस निरीक्षण तथा जांच के उद्देश्य के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में मुकदमें की सुनवाई करते समय प्राप्त होती हैं अर्थात :

(क) विपणन समिति के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य को बुलाना अथवा उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ के आधार पर जांच करना;

(ख) साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाने वाला कोई दस्तावेज अथवा अन्य कोई सामग्री विपणन समिति के अधिकारी, कर्मचारी से बरामद अथवा प्रस्तुत करना; और

(ग) साक्ष्य के शपथ-पत्र प्राप्त करना;

(3) निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपधारा 2 (1974 का 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 तथा अध्याय 26 के उद्देश्यों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा।

98. लेखा पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों को जब्त करना। — जब निदेशक को यह विश्वास हो जाए कि विपणन समिति की लेखा पुस्तिकाओं तथा रिकार्ड को क्षति पहुंचाई जा सकती है अथवा उसे नष्ट किया जा सकता है या विपणन समिति की निधियों अथवा संपत्तियों का दुरुपयोग हो सकता है तो निदेशक आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को उस विपणन समिति की लेखा–पुस्तकों तथा रिकार्ड, निधियों तथा संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दे सकते हैं तथा इन लेखा–पुस्तकों, रिकार्ड, निधियों तथा संपत्तियों के लिए जिम्मेदार विपणन समिति के अधिकारी उस प्राधिकृत व्यक्ति को ये सब चीजें देंगे।

99. विपणन समिति की कार्यवाहियों को मंगवाने तथा उन पर आदेश पारित करने की निदेशक की शक्तियाँ — निदेशक किसी भी समय किसी विपणन समिति की कार्यवाहियां मंगाकर जांच कर सकते हैं तथा अपनी संतुष्टि के लिए इस अधिनियम के तहत उस विपणन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अथवा पारित किए गए आदेश की वैधता की जानकारी ले सकते हैं। और यदि किसी मामले में निदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कोई निर्णय अथवा आदेश या कार्यवाही संशोधित, समाप्त अथवा वापस किए जाएं तो निदेशक उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

100. परिषद् द्वारा नियंत्रण — धारा 98 के तहत निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां परिषद अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी तथा इस धारा के संबंध में किए संदर्भ को परिषद को किए गए संदर्भ समझा जाएगा।

101. विपणन समितियों का विलयन अथवा विभाजन।

(1) यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद के प्रभावी विपणन के लिए दो या अधिक विपणन समितियों का विलय अथवा किसी विपणन समिति का दो या दो से अधिक विपणन समितियों में विभाजन करना आवश्यक है तो विपणन समिति अथवा विपणन समितियों, जैसी भी स्थिति हो, तथा परिषद से विचार–विमर्श करके अधिसूचना द्वारा उन विपणन समितियों का एक विपणन समिति के रूप में विलय अथवा विपणन समिति का अधिसूचना में उल्लिखित कृषि उत्पाद की दृष्टि से बाजार क्षेत्र में दो या दो से अधिक विपणन समितियों में विभाजन कर सकती है। अधिसूचना में विलय अथवा विभाजन, जैसी भी स्थिति हो, को प्रभावी बनाने के लिए उसके गठन, संपत्ति, अधिकारों, हितों तथा प्राधिकारों और देयताओं, कर्तव्यों (जिसमें करारों, परिसंपत्तियों, कर्मचारियों, कार्यवाहियों का प्रावधान भी शामिल है) तथा आकस्मिक और अनुपूरक मामलों की भी व्यवस्था होगी।

(2) किसी बाजार क्षेत्र में उपधारा (1) के तहत एक से अधिक विपणन समितियां स्थापित होने पर सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले इस आशय के सामान्य अथवा विशेष निर्देश जारी कर सकेगी, कि जो मामले संयुक्त रूप से उनके हित के हैं उनसे कौन सी विपणन समिति इस अधिनियम के तहत विपणन समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के तहत कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उसके अनुपालन में किसी विपणन समिति द्वारा उठाये जाने वाले खर्च को दूसरी समिति द्वारा सहमति से निर्धारित अनुपात में वहन किया जाएगा तथा ऐसा न करने की स्थिति में सरकार अथवा उसके द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट अन्य किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय 13
समिति को समाप्त करना

102. विपणन समितियों को समाप्त करना — (1) यदि सरकार की राय में कोई विपणन समिति कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं है अथवा इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके तहत उसे सौंपे गए कर्तव्यों के निष्पादन में बार–बार गलती करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है अथवा सरकार या उसके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को जानबूझकर अनदेखा करती है तो सरकार इसके लिए कारणों को लिखित में रिकार्ड करके तथा समिति को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करके अधिसूचना द्वारा उस विपणन समिति को समाप्त कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित होने पर विपणन समिति की समाप्ति हो जाने पर उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से यह माना जाएगा कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों ने अपने पद छोड़ दिए हैं;

(ख) सरकार यह निर्देश देगी कि इसकी समाप्ति की तारीख से छः महीने पूरे होने से पहले धारा 36 के तहत नई विपणन समिति का गठन करने के लिए कदम उठाए जाएं;

परन्तु सरकार छः महीने की इस अवधि को समय समय पर बढ़ा सकती है परन्तु यह औसत अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ग) सरकार यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के तहत समिति तथा इसके अध्यक्ष सभी कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन तथा प्रयोग इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को समिति अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, माना जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के बाजारों में सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का दस वर्ष की सेवा अथवा संघ शासित क्षेत्र सिविल सेवा का पन्द्रह वर्ष की सेवा वाला अधिकारी होगा;

(घ) समिति की सभी परिसंपत्तियां सरकार के पास होंगी तथा समाप्ति की तारीख को समिति की देयताओं की जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अध्याय 14

दण्ड

103. धारा 48 की उपधारा (2) के तहत निर्देशों का पालन न करने पर दण्ड

हटाये जाने वाले अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष जिन्हें धारा 48 की उपधारा (2) के तहत निर्देश जारी किए गए हैं, यदि वे उन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें साधारण कैद जिसकी अवधि एक महीने तक हो सकती है अथवा जुर्माना जो 5,000/- रु० तक हो सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं।

104. धारा 79 का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

यदि कोई व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (1) के तहत घोषणा में उल्लिखित कृषि उत्पाद विपणन के लिए किसी बाजार क्षेत्र में धारा 79 की उपधारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी स्थान का प्रयोग करता है अथवा, बाजार क्षेत्र में अथवा किसी विपणन समिति में व्यापारी, कमीशन ऐजेन्ट, दलाल, संस्करणकर्ता, तोलकर्ता, मापकर्ता, सर्वेक्षणकर्ता, भंडारकर्ता अथवा कृषि उत्पाद विपणन के संबध में किसी अन्य रूप में कार्य करता है तो उसे कैद की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि छः महीने हो सकती है अथवा जुर्माना किया जाएगा जो 5,000/- रु० तक हो सकता है अथवा दोनों किए जा सकते हैं और बार–बार उल्लंघन करने के मामले में पहली बार किए गए उल्लंघन की तारीख से जब तक उल्लंघन करता है तब तक 50/- रु० प्रति दिन तक का जुर्माना किया जाएगा।

105. धारा 96 के तहत बाधा उत्पन्न करने तथा आदेशों का पालन न करने के लिए दण्ड

यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी द्वारा किए जा रहे विपणन समिति के लेखों का निरीक्षण अथवा उसके कार्यकलापों की जांच में बाधा उत्पन्न करता है अथवा धारा 96 में उल्लिखित किसी मामले में दिए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर वह अपराध किए जाने की निरन्तरता तक 200/- रु० प्रतिदिन तक का जुर्माना किया जा सकता है।

106. धारा 97 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.

जब विपणन समिति के किसी अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य से धारा 97 के तहत कार्यालयों के लेखे अथवा विपणन समिति के कार्यकलापों अथवा उसकी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है;

(क) कोई जानकारी प्रस्तुत करने को जानबूझकर नजरअंदाज अथवा मना करता है, या

(ख) जानबूझकर झूठी अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करता है;

तो उस अधिकारी, कर्मचारी अथवा सदस्य को कैद की सजा दी जाएगी जो एक वर्ष तक हो सकती है अथवा जुर्माना किया जाएगा जो पांच हजार रु० तक हो सकता है अथवा दोनों किए जायेंगे।

107. धारा 98 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दण्ड.

यदि कोई व्यक्ति धारा 98 के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी व्यक्ति द्वारा जब्त किए जा रहे अथवा अपने कब्जे में लिए जा रहे विपणन समिति के लेखे, रिकार्ड, निधियां अथवा संपत्ति के संबंध में बाधा उत्पन्न करता है अथवा उन चीजों को नहीं देता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा जो दो हजार रु० तक हो सकता है।

108. अपराध के लिए दण्ड का सामान्य प्रावधान।

इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा उपनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पर, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम अथवा नियमों का उपविधियों में और कहीं व्यवस्था नहीं की गई है, जुर्माना किया जाएगा जो 2,000/- रु० तक हो सकता है।

अध्याय 15

विविध

109. परिषद अथवा विपणन समिति के सदस्यों अथवा कर्मचारियों की देयताएं

(1) परिषद अथवा विपणन समिति का प्रत्येक सदस्य अथवा कर्मचारी परिषद अथवा विपणन समिति के नुकसान तथा धन अथवा संपत्ति के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा और यदि परिषद इस प्रकार के नुकसान अथवा दुरुपयोग के बारे में इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि वह नुकसान या दुरुपयोग किसी सदस्य अथवा कर्मचारी की लापरवाही से हुआ है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी उस सदस्य अथवा कर्मचारी की होगी;

परन्तु लिखित नोटिस द्वारा यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि नुकसान अथवा दुरुपयोग के लिए उसे जिम्मेदार क्यों न ठहराया जाए।

(2) यदि किसी सदस्य अथवा कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वह उस नुकसान की भरपाई आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के अन्दर करेगा अन्यथा उस सदस्य अथवा कर्मचारी से उस नुकसान के बराबर राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(3) यदि किसी सदस्य अथवा कर्मचारी को उपधारा (1) के तहत आदेश दिया जाता है तो वह आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर सरकार को अपील कर सकता है, जिसके पास परिषद द्वारा जारी उस आदेश को सही ठहराने, उसमें संशोधन करने अथवा उसे वापस करने की शक्ति होगी;

(क) बशर्ते कि यदि कोई नुकसान अथवा दुरुपयोग चार वर्ष बीत जाने से पहले हुआ है तो उसके लिए वसूली संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(ख) चार वर्षों की गणना करते समय परिषद द्वारा की गई पूछताछ अथवा जांच की अवधि या जिस अवधि में कार्यवाही रोक दी गई थी अथवा नुकसान की भरपाई संबंधी आदेश के विरुद्ध की गई अपील जिस अवधि में लम्बित रही, उसे नहीं गिना जाएगा।

110. परिषद अथवा विपणन समिति के अध्यक्ष आदि सार्वजनिक कर्मचारी होंगे। परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अन्य अधिकारी और विपणन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में "सरकारी जनसेवक" माने जाएँगे।

111. सूचना के के अभाव में मुकदमा न चलाया जाना। (1) परिषद अथवा किसी विपणन समिति अथवा उसके किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी या परिषद किसी विपणन समिति, सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के तहत सदस्य अथवा कर्मचारी के रूप में अच्छी नीयत से किए गए अथवा कराए गए किसी कार्य के लिए दो महीने की अवधि तक लिखित रूप में नोटिस के बिना कोई मुकदमा अथवा कानूनी कार्यवाही, प्रारंभ नही की जाएगी। नोटिस में कार्यवाही का कारण, वादी का नाम व निवास का पता तथा उसके द्वारा मांगी गई छूट का उल्लेख होगा और उसे परिषद अथवा विपणन समिति के मामले में उसके कार्यालय में भेजा जाएगा तथा उपरोक्त सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति के मामले में उसे दिया जाएगा या उसके कार्यालय में भेजा जाएगा अथवा उसके निवास पर दिया जाएगा तथा इस बात को रिकार्ड किया जाएगा कि वह नोटिस उसे दे दिया गया है अथवा उसके कार्यालय अथवा निवास पर छोड़ दिया गया है।

(2) कार्यवाही के कथित कारण की घटना की तारीख से छः महीने के अन्दर–अन्दर न चलाए जाने वाला प्रत्येक मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राहत अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा (38) के तहत उपधारा (1) के तहत अपेक्षित नोटिस दिए बिना भी न्यायालय की अनुमति से मुकदमा चलाया जा सकेगा परन्तु न्यायालय, परिषद अथवा विपणन समिति या उपधारा (1) में उल्लिखित अन्य किसी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को सुने जाने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना किसी मुकदमें में कोई छूट प्रदान नहीं करेगा।

112. मुकदमों की सुनवाई। (1) इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम अथवा विनियम या विधि के तहत किसी अपराध की सुनवाई मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से नीचे के न्यायालय में नहीं की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के तहत निदेशक अथवा इसके लिए प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी या परिषद अथवा विपणन समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत सचिव अथवा अन्य किसी व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी के द्वारा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

(3) कोई न्यायालय इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम, आदेश, विनियम अथवा उपविधि के तहत किसी अपराध के लिए पहली नज़र में उसे दोषी नहीं मानेगा जब तक कि निदेशक, अधिकारी, सचिव अथवा उपधारा (11) में उल्लिखित व्यक्ति की जानकारी में कथित दोष आने की तारीख से छः महीने के अन्दर–अन्दर उसकी शिकायत न की गई हो।

(4) न्यायालय द्वारा किसी दोषी से प्राप्त जुर्माना राशि विपणन विकास निधि अथवा बाजार निधि, जैसी भी स्थिति हो में जमा की जाएगी।

113. सरकार, परिषद विपणन समिति तथा अन्यों को देय राशि की वसूली.-

(1) परिषद अथवा किसी विपणन समिति से सरकार को देय राशि भू-राजस्व बकाया के 25
रूप में वसूल की जाएगी।

(2) धारा 116 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए परिषद अथवा विपणन समिति को इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम अथवा विधि के तहत प्रभार, लागत, खर्च, शुल्क, किराए अथवा अन्य किसी कार्य के लिए देय राशि अथवा धारा 60 की उपधारा (1) के तहत उल्लिखित कृषि उत्पाद की बाजार क्षेत्र में बिक्री के लिए किसान को देय राशि जो इस अधिनियम में उल्लिखित के अनुसार अदा नहीं की गई है, तो उस व्यक्ति से जिसकी ओर देय है, उसी तरीके से वसूल की जाएगी जैसे मानों यह भू-राजस्व बकाया हो।

(3) यदि धारा 116 की उपधारा (3) के अर्थ में यह विवाद उत्पन्न होता है कि किसान को कोई राशि देय है अथवा नहीं तो इसका निर्णय धारा 83 में उल्लिखित विधि के अनुसार किया जाएगा तथा उस उद्देश्य के लिए धारा 83 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमनों अथवा उपविधि के प्रावधान इस उपधारा के तहत विवाद के निपटारे के उद्देश्य के लिए यथा संभव लागू होंगे।

114. शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने की सरकार की शक्ति.

सरकार अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें वह लागू करना उचित समझे, इस अधिनियम के प्रावधानों में से किसी के द्वारा अथवा तहत प्राप्त शक्तियों में से सभी अथवा किसी भी शक्ति को परिषद अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है।

115. परिषद अथवा विपणन समिति आदि को अधिनियमों के उपबंधों से छूट की शक्ति.

(1) सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर परिषद अथवा किसी विपणन समिति या किसी वर्ग के व्यक्तियों को इस अधिनियम तथा इसके तहत बनाए गए किसी नियम, विनियम अथवा उपविधि के उपबंधों से छूट दे सकती है और इसी प्रकार से यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध परिषद अथवा किसी विपणन समिति या किसी वर्ग के लोगों पर आदेश में उल्लिखित ऐसे संशोधनों के साथ लागू होंगे जिनसे उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(2) उपधारा (1) के तहत बनाए गए सभी आदेश यथाशीघ्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखे जाएगें।

(3) सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर निर्देश दे सकती है, कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कोई नियम, विनियम अथवा उपविधि, परिषद अथवा किसी विपणन समिति या किसी वर्ग के लोगों पर आदेश में उल्लिखित ऐसे संशोधनों के साथ लागू होगा जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

116. नियम बनाने की शक्तियाँ.

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशेषकर, तथा उपरोक्त शक्ति पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले ये नियम निम्नलिखित मामलों में सभी अथवा किन्हीं के लिए व्यवस्था करेंगे :-

(क) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत किसानों के प्रतिनिधियों की योग्यताएं;

(ख) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत व्यापारियों के प्रतिनिधियों की योग्यताएं;

(ग) धारा 38 के तहत विपणन समिति के सदस्यों के चुनाव की विधि जिसमें ऐसे चुनाव से संबंधित अन्य आकस्मिक मामले भी शामिल हैं;

(घ) धारा 44 और 46 के तहत विपणन समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के कार्यकाल तथा उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें;

(ङ) धारा 54 की उपधारा (2) के तहत विपणन समितियों के कर्तव्यों तथा उस उपधारा के खंड (ट) के तहत नियमों में उल्लिखित कृषि उत्पाद के श्रेणीकरण को विकसित करना;

(च) धारा 62 के तहत विपणन समिति द्वारा लिए जाने वाले बाजार शुल्क की विधि;

(छ) धारा 72 की उपधारा (2) के तहत विपणन समिति द्वारा अन्य विपणन समिति से ऋण प्राप्त करने की शर्तें;

(ज) धारा 74 की उपधारा (2), धारा 123 की उपधारा (2) के तहत अपील करने की विधि तथा अवधि;

(झ) लाइसेंस-फार्म तथा लाइसेंस जारी अथवा नवीनीकरण से संबंधित शर्तें जिनमें धारा 80 के तहत प्रत्येक लाइसेंस के लिए दिए जाने वाला शुल्क भी शामिल है;

(ञ) धारा 80 के तहत कृषि उत्पाद की तौलाई तथा ढुलाई के लिए दिए जाने वाले शुल्क;

(ट) धारा 82 की उपधारा (1) के तहत की जाने वाली अपील की विधि;

(ठ) उपसमितियों का गठन, मध्यस्थता की नियुक्ति की विधि तथा विवादों के निपटारे के लिए पार्टियों द्वारा दिए जाने वाले शुल्क, यदि कोई हो, उपसमितियों अथवा मध्यस्थों द्वारा विवादों के निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा वह अवधि जिनमें धारा 83 के तहत उपसमिति अथवा मध्यस्थता के निर्णय के विरूद्ध अपील की जा सके;

(ड) धारा 84 की उपधारा (3) या धारा 88 की उपधारा (2) जैसी भी स्थिति हो, के तहत विपणन विकास निधि अथवा बाजार निधि में राशि जमा करने अथवा निवेश करने की विधि;

(ढ) परिषद अथवा विपणन समिति के सदस्यों को देय यात्रा तथा अन्य भत्ते;

(ण) विपणन समिति अथवा परिषद के खर्च से आंशिक अथवा समग्र रूप में किए जाने वाले निर्माण की योजना तथा आकलन तैयार करना तथा ऐसी योजना व आकलनों को अनुमोदित करना;

(त) विपणन विकास निधि अथवा बाजार निधि से अदायगी की विधि, इसके लेखे रखने तथा लेखा-परीक्षा, आय तथा व्यय के बजट आकलनों को तैयार करने तथा वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार करने की विधि;

(थ) विपणन समिति द्वारा अपेक्षित विवरण व्यापारी अथवा कमीशन ऐजेन्ट द्वारा प्रस्तुत करने का समय तथा इसकी विधि;

(द) अपेक्षित अथवा निर्धारित किए जाने वाला अन्य कोई मामला;

(3) इस धारा के तहत बनाए गए नियम में यह व्यवस्था होगी कि यदि खरीददार धारा 61 की उपधारा (6) के अनुसार अपेक्षित भुगतान नही करता है तो उसे बिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक उस दर से ब्याज देना होगा जो उस नियम में उल्लिखित की जाए। जोकि बैंकिंग संस्थानों द्वारा असुरक्षित ऋण के लिए निर्धारित अधिकतम ब्याज दर से अधिक नहीं होगी। यदि भुगतान कृषि उत्पाद की बिक्री की तारीख से तीस दिन के अन्दर नही किया जाता है तो विपणन समिति खरीददार से धारा 113 में दी गई विधि के अनुसार मूल तथा ब्याज वसूल करेगी।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाये गये किसी भी नियम में यह व्यवस्था होगी कि उसका उल्लंघन करने का दोषी होने पर जुर्माना किया जाएगा जोकि पाँच हजार रु० तक हो सकता है।

(5) इस अधिनियम के तहत बनया जाने वाला प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवृति सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें वह रखा गया हो, या ठीक परवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व यदि विधान सभा उस नियम में कोई आशोधन करने के लिए सहमत हो जाए या विधान सभा इस बात के लिए सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति वह नियम ऐसे आशोधित रूप में ही प्रभावशाली होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु इस प्रकार का कोई आशोधन या प्रभावहीन उस नियम क अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

117. अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति

(1) सरकार के पूर्व अनुमोदन से परिषद, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकती है जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों से असंगत नहीं होंगे।

(2) विशेषकर, तथा उपरोक्त शक्ति पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले ये विनियम निम्नलिखित सभी अथवा किसी मामले के लिए व्यवस्था करेंगे :-

(क) परिषद तथा विपणन समिति की भर्ती – प्रक्रिया, कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सेवा-शर्तें;

(ख) परिषद की बैठकों की कार्यवाही का नियमन;

(ग) परिषद की शक्तियाँ इसके उपाध्यक्ष या उसके अन्य किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करना;

(घ) विपणन समिति के कर्तव्य तथा शक्तियों का उपसमिति को प्रत्यायोजन;

(ङ) विपणन सेवा के गठन की विधि, उसमें भर्ती तथा योग्यताएं, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश तथा इसका नकदीकरण, ऋण, पेंशन, ग्रेच्युटी, निधियां में अंशदान, प्राधिकृत अस्पतालों में दाखिल होने की स्थिति में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति, बरखास्तगी, विभागीय जांच तथा दण्ड, अपील व इसके सदस्यों की अन्य सेवा-शर्तें।

118. उपविधियाँ बनाने के लिए विपणन समिति की शक्ति

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए विपणन समिति अपने प्रबंधन के तहत बाजार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है :-

(1) अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के उद्देश्यों के लिए कृषि उत्पाद की फुटकर बिक्री की मात्रा निर्धारित करना;

(2) विपणन समिति की बैठकों, गणपूर्ति तथा प्रक्रिया सहित अन्य कार्यकलापों का नियमन;

(3) बाजार में व्यापार की शर्तें;

(4) अधिकारियों तथा कर्मचारियों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों का पत्यायोजन;

(5) उपसमिति, यदि कोई हो, को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कार्यों का प्रत्यायोजन;

(6) व्यक्तियों के लिए प्रावधानों जिनके द्वारा दस्तावेज की प्रतियाँ तथा विपणन समिति की लेखा-पुस्तिकाओं में इन्द्राज प्रमाणित किए जाएं तथा प्रत्येक प्रति देने तथा ऐसे दस्तावेज तथा लेखा पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने के लिए, अधिनियम, नियम तथा विनियमों के तहत कार्यवाहियों के उद्देश्य हेतु लिए जाने वाले प्रभार, बाजार में बिक्री प्रक्रिया तथा वाउचर आदि का अनुरक्षण;

(7) बाजार में बिक्री प्रक्रिया तथा बिक्री से जुड़े अन्य वाउचर आदि का अनुरक्षण तथा जारी

करना और वाउचर, बिल, रसीद आदि व्यापारियों, कमीशन ऐजेन्ट, दलालों तथा बाजार में कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों को जारी करने की विधि।

(8) अन्य कोई मामला, जिसके लिए इस अधिनियम के तहत उपनियम बनाए जाने अपेक्षित हो या बाजार क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए।

(2) उपधारा (1) के तहत बनाया गया कोई भी उपनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह निदेशक द्वारा पुष्टि करने के बाद सरकारी राजपत्र में प्रकाशित न करा दिया जाए।

(3) उपविधि बनाते समय विपणन समिति यह निर्देश दे सकती है कि किसी उपविधि का उल्लंघन करने पर इसके द्वारा जुर्माना किया जा सकता है जो कि पहली बार में 5,000/- रु० तक हो सकता है तथा यदि उल्लंघन निरंतर किया जा रहा है तो यह जुर्माना पहली बार किए गए जुर्माने के बाद से रु० 50/- प्रतिदिन होगा।

स्पष्टीकरण :

इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए विपणन समिति इस बात के होते हुए भी जुर्माना कर सकती है कि उस कार्य के लिए जिसके लिए उपविधियों के तहत जुर्माना किया गया है उसके लिए अपराधिक मामला चलाया जा रहा है।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यदि निदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि उपनियमों में संशोधन अथवा नया उपनियम या किसी उपनियम को समाप्त किया जाना विपणन समिति के हित में आवश्यक या अपेक्षित है तो वह आदेश द्वारा विपणन समिति को आदेश में उल्लिखित अवधि में संशोधन, नया उपनियम बनाने अथवा समाप्त करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

(5) विपणन समिति यदि उपधारा 4 के तहत जारी किए गए आदेश का निर्धारित अवधि में पालन करने में असमर्थ रहती है तो निदेशक वह संशोधन, खंडन अथवा नया उपनियम बना देंगे तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति विपणन समिति को भेज देंगे।

(6) विपणन समिति उपधारा (5) में उल्लिखित प्रमाणित प्रति जारी होने की तारीख से तीस दिन के अन्दर उस आदेश के विरूद्ध सरकार को अपील कर सकेगी जिसका निर्णय अंतिम तथा समिति को मान्य होगा।

(7) कोई उपनियम अथवा उपनियम का खंडन या इसमें संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि निदेशक इसकी पुष्टी करके सरकारी राजपत्र में अधिसूचित न कर दे।

119. अनुसूची में संशोधन करने की सरकार की शक्ति

सरकार, परिषद से विचार विमर्श करके अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कृषि उत्पाद की किसी मद को हटा अथवा शामिल कर सकती है तथा अन्य किसी तरीके से संशोधन कर सकती है।

120. वसूली न किए जाने योग्य शुल्क आदि बट्टे खाते डालने की शक्ति।

जब यह पाया जाए कि परिषद अथवा विपणन समिति को देय कोई राशि वसूली नहीं जा सकती या जब परिषद अथवा विपणन समिति की राशि या भंडार या अन्य संपत्ति को धोखे या किसी व्यक्ति की लापरवाही अथवा अन्य किसी कारण से नुक्सान हुआ

है और वह राशि अथवा संपत्ति वसूली योग्य नहीं है तो यह तथ्य परिषद अथवा विपणन समिति, जैसी भी स्थिति हो, की जानकारी में लाया जाएगा तथा परिषद, निदेशक तथा विपणन समिति की पूर्व अनुमति से आदेश द्वारा उस राशि अथवा संपत्ति की कीमत को नुक्सान के रूप में बट्टे खाते डाल सकेगी;

परन्तु विपणन समिति के मामले में इस प्रकार की कोई देय राशि अथवा संपत्ति की कीमत 100/- रु० से अधिक है तो वह आदेश निदेशक के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

121. संशोधन।— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सरकार के पास परिषद अथवा उसके किसी अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश को वापस करने अथवा संशोधन करने की शक्ति होगी यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके तहत बनाए गए नियम, विनियम अथवा उपनियम के अनुसार नहीं है।

122. दंड की शक्ति (1) निदेशक के पूर्व अनुमोदन से :—

(क) विपणन समिति, अथवा

(ख) इसके अध्यक्ष, यदि विपणन समिति की ओर से संकल्प द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं; किसी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस बात की पर्याप्त शंका है कि उसने इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियम, विनियम अथवा उपनियम के तहत अपराध किया है, उससे उस अपराध के जुर्माने के रूप में राशि स्वीकार कर सकते हैं :

(2) उस समय लागू अन्य किसी विधि में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी वह धनराशि समिति अथवा इसके अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को भुगतान के बाद संदिग्ध व्यक्ति यदि वह हिरासत में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

123. जुर्माना करने की विपणन समिति तथा सचिव की शक्ति। (1) विपणन समिति अथवा इसके सचिव को बाजार में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति अथवा किसान या खरीददार पर किसी उपनियम का उल्लंघन करने के लिए, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के बाद 500/- रु० तक जुर्माना करने की शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के तहत जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध अपील परिषद उपाध्यक्ष को निर्धारित विधि तथा समय में की जा सकेगी।

124. निरसन तथा बचाव (1) दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का 87) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा को एतद् द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

परन्तु ऐसे निरसन से पहले से चल रहे कार्यकलापों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा किया गया कोई कार्य तथा कार्यवाही (जिसमें नियुक्ति, प्रत्यायोजन, घोषणा, अधिसूचना, आदेश, नियम, विनियम, निर्देश अथवा जारी किए गए नोटिस, बनाए गए उपनियम, स्थापित की गई विपणन समिति, जारी किए गए लाइसेंस, लिया गया शुल्क, लगाए गए यंत्र, स्थापित अथवा गठित कोई निधि भी शामिल हैं) जो उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा

उसके प्रावधानों के तहत की गई है, यदि वह इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है तो वह कार्यवाही इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई समझी जाएगी तथा वह तब तक जारी रहेगी जब तक कि उसे कुछ करके अथवा इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करके समाप्त न किया जाए।

(2) कोई क्षेत्र अथवा स्थान जिसे बाजार क्षेत्र अथवा किसी स्थान या बाजार को जिसे नियम के तहत बाजार घोषित कर दिया गया है वह समाप्ति के बाद इस अधिनियम के लागू होने पर इस अधिनियम के तहत घोषित बाजार क्षेत्र अथवा बाजार समझा जाएगा। उस बाजार क्षेत्र के लिए गठित विपणन समिति जो इस अधिनियम के लागू होने से एकदम पहले कार्य कर रही थी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उस बाजार क्षेत्र के लिए इस अधिनियम के तहत गठित समिति समझी जाएगी, और यदि घोषणा अथवा अधिसूचना में उल्लिखित कृषि उत्पाद भी तथा उस विपणन समिति के सभी सदस्य सरकार द्वारा धारा 35 की उपधारा (2) के तहत नामित किए गए सदस्य समझे जाएगे।

(3) उपरोक्त समाप्ति के बारे में कोई संदर्भ अथवा उसके किसी प्रावधान अथवा अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति जो उसके तहत कार्य कर रहा हो, के संबंध में उस समय लागू किसी विधि अथवा दस्तावेज के संबंध में अपेक्षित होने पर उस अधिनियम के अनुरूप– प्रावधानों अथवा अनुरूप अधिकारी, प्राधिकारी या इस अधिनियम के तहत कार्य कर रहे अनुरूप व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के संदर्भ में समझा जाएगा तथा अनुरूप अधिकारी, प्राधिकारी अथवा व्यक्ति, जैसा भी स्थिति हो विधि, अथवा दस्तावेज के तहत कार्य करेगा।

(4) इस धारा में विशेष मामलों के उल्लेख से सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 6 का इस अधिनियम पर कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होगा, जैसे दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम 1976 (1976 का 87) इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

125. कठिनाई के समाधान की शक्ति। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में यदि कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आवश्यकतानुसार आदेश द्वारा जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नही होगा, कोई कदम उठा सकती है जो उसे कठिनाई का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत हो;

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के लागू होने के दो वर्ष बीत जाने के बाद नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(देखें धारा 2 (1) (क) तथा धारा 119)

1. पशुपालन–उत्पाद
    1. मक्खन
    2. पशु
    3. अण्डे
    4. घी
    5. बकरी
    6. चमड़ा तथा खालें
    7. दुग्ध तथा दुग्ध–उत्पाद
    8. मुर्गा
    9. भेड़
    10. ऊन

2. मधुमक्खी–पालन
    शहद

3. पशु–आहार
    1. गवार
    2. पुंवाड

4. अन्न
    1. बाजरा
    2. जौं
    3. निम्न स्तरीय खाद्यान्न
    4. ज्वार
    5. मक्का
    6. जई
    7. धान
    8. गेहूँ

5. मसाले खुशबुदार पदार्थ तथा अन्य
    1. पान–पत्ते
    2. सुपारी
    3. इलायची तथा पीपल
    4. काजू
    5. मिर्च
    6. धनिया
    7. दालचीनी

8. लहसुन
9. अदरक
10. इलायची
11. लौंग
12. मेथी
13. राई (सरसों)
14. सौंफ
15. हल्दी
16. जीरा
17. हींग
18. तुलसी
19. तेजपत्ता
20. अजवायन
21. जायफल
22. पोस्त
23. पिपरमेंट
24. केसर
25. इमली
26. वनिला
27. सौंठ

6. रेशा

1. कपास
2. सनहेम्प

7. फल

1. बादाम
2. सेब
3. केला
4. बेरी
5. चीकू
6. अंजीर
7. अंगूर
8. अमरूद
9. ककड़ी
10. लीची
11. नींबू
12. माल्टा
13. आम

14. खरबूजा
15. मौसमी
16. पपीता
17. आड़ू
18. नासपाती
19. आलू बुखारा
20. अनार
21. संतरा
22. चेरी
23. तरबूज
24. नारियल
25. बेर
26. अनानास
27. शरीफा
28. फालसा
29. खुरमानी
30. जापानीफल
31. जामुन
32. चकोत्रा
33. लोकाट
34. शहतूत
35. गन्ना
36. बेलगिरी
37. रिखांड़ा
38. गलगल
39. खिरनी
40. मुनक्का/किशमिश
41. बब्बूगोशा
42. भुट्टा
43. खजूर
44. खट्टा
45. मीटठा

8. घास तथा चारा

9. गुड़, चीनी, गन्ना, खांडसारी, शक्कर, रसकट।

10. नशीले पदार्थ
तम्बाकू

11. तिलहन

1. अरंडी
2. कपास
3. मूँगफली
4. लिनसीड
5. सरसों
6. तिल
7. तारामीरा
8. तोरिया

12. मत्स्य पालन

मछली

13. दालें

1. अरहर
2. सेम
3. चना
4. ग्वारा
5. मैश
6. मसूर
7. मोठ
8. मूंग
9. मटर
10. उड़द

14. सब्जियाँ

1. अरबी
2. गाजर – सभी प्रकार की
3. खीरा – सभी प्रकार का
4. गोभी – सभी प्रकार की
5. कचालू
6. पत्ते वाली तथा ताजी सब्जियाँ
7. प्याज
8. मटर – सभी प्रकार की
9. आलू
10. टमाटर
11. शकरकंदी
12. बैंगन
13. कद्दू आदि
14. भिण्डी
15. पेठा
16. घिया–तोरी
17. फराश बिन

18. बथवा
19. सरसों–पत्ती
20. हरा लोबिया
21. पालक
22. शलजम
23. मूली
24. टिंडा – सभी प्रकार का
25. कटहल
26. जिमीकंद
27. हरी मेथी
28. हरी–मिर्च
29. करेला
30. कद्दू–लौकी
31. इमली
32. चुकंदर
33. हरा–अदरक
34. मेट
35. लहसन
36. चिरचिंडा
37. तोरी – सभी प्रकार की
38. परमल
39. कमल ककड़ी
40. करौंदा
41. मशरूम (कुम्मी)
42. हरा धनिया
43. आंवला
44. सिगंरी
45. टींट
46. लेहसुआ
47. कमरक
48. याम (आलू)
49. सलाद–पत्ता
50. सेम – सभी प्रकार की
51. हरी हल्दी
52. ड्रम स्टिकस्
53. कचनार के फूल
54. ककौड़ा
55. करौंदा
56. कैपस्किम

57. सोया (हरा)
58. अगराह
59. लांकू
60. कुंदु
61. फुई
62. कुलफा
63. चौलाई
64. बांकला
65. छोले
66. सिंपी
67. सौजना के फूल
68. बथुरा

15. उद्यान
1. फूल, कटे हुए फूल व गमले में लगाने वाले पौधे

16. वन्य–उत्पाद
1. बांरा
2. बहेड़ा
3. चिरौंजी
4. गोंद
5. शहद
6. करेला
7. महुआ–फूल
8. लकड़ी
9. मोम

आर. के. प्रभाकर, अवर सचिव (विधि एवं न्याय)